केरल हिन्दी साहित्य अकादमी शोध-पत्रिका

२ अक्तूबर २००९ अंक, वर्ष १५, नं ५४, लक्ष्मीनगर, पट्टम पालस, तिरुवनन्तपुरम - ६९५ ००४

राजभाषा-विशेषांक

दो युगप्रवर्तक हिन्दी सेवी को श्रद्धांजलियाँ !!

साधना के सार्थवाह डा. अर्जुन शतपथी
1 जनवरी 1937 - 18 जनवरी 2010

उड़ीसा के सोनपुर में जन्म हुआ डा. शतपथी उड़ीसा के प्रसिद्ध शिक्षाविद् होने के साथ ही एक विशिष्ट साहित्यकार भी रहे थे। वे बहुभाषा पंडित, कुशल प्राध्यापक, प्रख्यात शोधनिर्देशक, वरेण्य साहित्यकार के रूप में ख्यातिप्राप्त थे। उनके पुत्र सर्वश्री आलोक शतपथी और आकाश शतपथी दोनों उच्च शिक्षाप्राप्त एवं पिता के मार्ग के अनुसारी हैं। देश भर के अनेकों साहित्यिक पुरस्कारों से संपन्न प्रोफसर अर्जुन शतपथी केरल हिन्दी साहित्य अकादमी और उसके अध्यक्ष के अनन्य मित्र तथा शुभकांक्षी रहे थे। डेढ़ महीने पहले डा. अर्जुन शतपथी की लिखी पाठकीय-प्रतिक्रिया इसी अंक में छपी हुई है!! उनकी आत्मा की नित्यशान्ति की प्रार्थना अकादमी करती है।

केरल के पुरोधा हिन्दी सेवी एवं आचार्य
आर. जनार्द्दनन पिल्लै
27-2-1919 - 25-2-2010

स्वाधीनता संग्राम के सेनानी एवं प्रसिद्ध आचार्य के रूप में प्रोफसर आर. जनार्द्दनन पिल्लै ख्यातिप्राप्त रहे थे। 1950 तक वे राष्ट्रभाषा के प्रचार-प्रसार में तन-मन से लगे हुए थे। वे एन.एस.एस. के कालेजों में हिन्दी विभागाध्यक्ष के रूप में रहे थे और उसी पद पर से सेवा-निवृत्त थी हुए थे। कतिपय हिन्दी ग्रन्थों के निर्माता प्रोफसर जनार्द्दनन पिल्लै को राष्ट्रपति श्री कलाम के हाथों से गंगाशरण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनकी चार संतानों में डा. रामचन्द्रन नायर और डा. तंकमणि अम्मा दोनों हिन्दी की सतत सेवा में व्यापृत हैं। प्रोफसर पिल्लै केरल हिन्दी साहित्य अकादमी के सहयोगी रहे थे। अकादमी उनकी आत्मा की शान्ति की प्रार्थना करती है।

केरल हिन्दी साहित्य अकादमी के तत्वावधान में 16-1-2010 को नई दिल्लीवाले नागरि लिपि-परिषद् के सहयोग से एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित हुई। केरल के विशिष्ट व्यक्तियों का संयुक्त कार्यायोजन संपन्न हुआ। चित्र में गान्धीस्मारक निधि चेयरमान श्री. पी.गोपीनाथन नायर जी दीप जलाकर उद्घाटन कर रहे हैं। समीप खडे हैं। पूर्व वी.सि.एवं. प्रसिद्ध सांस्कृतिक पुरुष डा. बालमोहन तंपी जी और अकादमी चेयरमान डा.एन. चद्रशेखरन नायर। पीछे खडी हैं, डा.आशा, डा.विजयलक्ष्मी, श्रीमती कौसल्या अम्माल, श्रीमती राजपुष्पम, श्रीमती विन्दु आदि।

☜ डॉ. सुन्दर लाल कथूरिया की काव्य-कृति
'ईश्वर तो कण-कण बसे'
का लोकार्पण करते हुए

बाएँ से : आ. चन्द्रशेखर शास्त्री, श्री. भजन प्रकाश आर्य, डॉ. शिवकुमार शास्त्री, पद्मश्री डॉ. श्यामसिंह शशि, डॉ. बालशौरि रेड्डी, डॉ. सुन्दरलाल कथूरिया (कवि) और डॉ. परमानन्द पांचाल।

महर्षि श्री विद्याधिराज पुरस्कार (दस हज़ार रुपये) श्री. वैक्कम विवेकानन्द जी अपनी प्रसिद्ध रचना महाप्रभु (महर्षि पर लिखा उपन्यास) के लिए डा. एन. चन्द्रशेखरन नायर (पुरस्कारदाता) की ओर से स्वीकार करते हैं। बीच में खडे हैं श्री. श्रीनिवास आइ.ए.एस (अध्यक्ष), पीछे प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती सुगतकुमारी (प्रशश्तिपत्र दात्री) खडी हैं। सर्वश्री. श्री.आर. रामचद्रन नायर (सम्मेलन के उद्घाटक) आई.ए.एस. और स्वामी कैलासनाथानन्द तीर्थपाद, ज्ञानी योगेश्वर महादेव, वट्टप्परंपिल गोपीनाथन नायर, डा. महेशन नायर, प्रो. कुंपलत्तु शांत कुमारी अम्मा, श्री. अरविन्दाक्षन नायर और आट्टुकाल दिवाकरन पिल्लै। ☞

☜

भाषा संगम के तत्वावधान में मार्च 16 को केरल हिंदी साहित्य अकादमी भवन में डॉ. एन.चन्द्रशेखरन नायर के महाकाव्य (चिरंजीव महाकाव्य) के चर्चा सम्मेलन का डॉ टी.शान्तकुमारी उद्घाटन कर रही हैं। प्रो. डी.तंकप्पन नायर, श्री. तुंपमन तंकप्पन, श्री. एस.पी.सदाशिवन आदियों ने महाकाव्य पर चर्चा जारी की।

केरल हिन्दी साहित्य अकादमी शोध-पत्रिका

(राजभाषा विशेषांक)

२ अक्तूबर २००९ अंक, वर्ष १५, नं ५४, लक्ष्मीनगर, पट्टम पालस, तिरुवनन्तपुरम - ६९५ ००४

सम्पादक

डा० एन० चन्द्रशेखर नायर

संरक्षक

श्रीमती शांता बाई (बेंगलोर)
श्री. डी.शशांकन नायर
श्रीमती कमला पद्मगिरीश्वरन
प्रा. पी.लक्ष्मिकुट्टि अम्मा (त्रिचूर)
डा० वीरेन्द्र शर्मा (दिल्ली)
डा० अमर सिंह वधान (पंजाब)
श्री. हरिहरलाल श्रीवास्तव (वारणासी)

परामर्श-मण्डल

डा० बि.के.नायर
डा० एन.रवीन्द्रनाथ
डा० एस.तंकमणि अम्मा
डा० वी.पी.मुहम्मद कुंजु मेत्तर
डा० मणिकण्ठन नायर
डा० पी.लता
श्रीमती आर. राजपुष्पम

सम्पादकीय कार्यालय

श्रीनिकेतन, लक्ष्मीनगर,
पट्टम पालस पोस्ट
तिरुवनन्तपुरम-६९५ ००४
दूरभाष-०४७१-२५४२३५५

प्रकाशकीय कार्यालय

मुद्रित : (द्वारा)
श्रीरामदास मिशन मुद्रणालय,
चेंकोट्टकोणम, तिरुवनन्तपुरम-८७
मूल्य-एक प्रति: २०.०० रुपये
आजीवन सदस्यता : १०००.००
संरक्षक : २०००.००

केरल हिन्दी साहित्य अकादमी शोध-पत्रिका कहाँ कहाँ जाती है?

कन्याकुमारी, मैसूर-२, महाराष्ट्रा, मणिपुर, मद्रास-६, कलक्कता-२, नई दिल्ली (अनेक स्थान), गुन्डूर, त्रिवेन्द्रम (अनेक जगहें), बागपत (यु.पी.) उन्नाव (उ.प्र.), बिलासपुर (म.प्र.), गुंतकल, जबलपुर, इलहाबाद, अहमदाबाद, बिरखडी, जमशेदपुर, लातूर, हैदराबाद, रतलाम, देवरिया, गाजियाबाद, इम्फाल, चुडीबाज़ार, पीली भीत, फिरोजाबाद, अम्बाला, लखनऊ, बलांगीर, बिहार, पटना, गया, बांका, ग्वालियर, भगलपुर, देवधर, जयपुर, बनारस, तृशूर, आलप्पुषा, मेरठ केन्ट, कानपुर, उज्जैन, पानीपत, होरंगाबाद, सीतामठी पोस्ट, प्रतापगढ, सरगुजा, बिजनौर, भीलवाडा, सतना, रेलमंत्रालय, तिरुवल्ला, वर्कला, कोट्टयम, नई माही, ओट्टप्पालम, चेप्पाड, लक्किडि, नेय्याट्टिनकरा, कोषिकोड, पय्यन्नूर, कोल्लम, मान्नार, मंगलोर, पुरनपुर, पंजाब, विशाखपटनम

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय नई दिल्ली द्वारा निर्देशित जगहें :

तमिल नाडु:- अरुम्बाक्कम, तोरापक्काओ, मद्रास, चेन्नै-३२, क्रोमोपेट्टा, चेन्नै-२१, चेन्नै-२, चेन्नै-८, कान्चीपुरम, तिरुचिरापल्ली, तिपुचिरापल्ली-२, नोर्त अरकोट, ताम्बरम, कोयम्बतूर, सेलम, सेलम-२६, चेन्नै-३४, चेन्नै-२४, तिरुचिरापल्ली-२, चेन्नै-३०, कोयम्बतूर-४, चेन्नै-२८, चेन्नै-८६। **गुजरात:-** अहमदाबाद, बरोडा। **कर्नाटक:-** बांगलोर, चित्रदुर्ग, श्रीनिगेरी, मौंगलोर, मैसूर, हस्सन, मान्डीया, चिगमौंगलोर, षिमोग, तुमकूर, कोलार। **महाराष्ट्रा:- मुम्बई,** कोलाबा-मुम्बई, मुम्बई-२०२, माटुंगा, मुम्बई-८, मुम्बई-८६, अन्देरी-६९, मुम्बई-२६, मुम्बई-८७, मुम्बई-२, औरंङगाबाद-३, औरंङगाबाद-२, औरंङगाबाद, औरंङगाबाद-२, नागपुर, रामटाक-नागपुर, सताना, नन्दगौन-नासिक, पूना, पूना-१, पूना-४, मानमाड-नासिक, चन्द्रपुर, अमरावती, कन्डहार, कोलहापुर, बानडरा, अकोला, नासिक, अहमदनगर, जलगौन, दुलिया, सांगली-कोलहापुर, षोलापुर, सतारा, सान्ताक्रूस, बारसी-४१३, माटुंगा, संगली-४१६। **चेस्ट बंगाल:-** कलक्कत्ता। **हैदराबाद:-** सुल्तान बाज़ार। **गौहाटी:-** कानपुरा। **नई दिल्ली:-** आर, के पुरम। गोवा:- मपुसा-५०७।

केरल हिन्दी साहित्य अकादमी शोध-पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लोखक के हैं। संपादक अथवा प्रकाशक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। सम्पादक

केरल हिन्दी साहित्य अकादमी शोध-पत्रिका केरल विश्व विद्यालय से अनुमोदित पत्रिकाओं की सूची में शामिल की गयी है। (संपादक)

सम्पादकीय,

हम कई बार कह चुके हैं कि राजभाषा के रूप में सिर्फ हिन्दी ही निश्चित की जाय और अंग्रेज़ी का उपयोग जहाँ-जहाँ हमें करना है उसकी सीमा-रेखा निर्णीत करें। 1965 तक ही अंग्रेज़ी केलिए समयपरिधि थी. पर उसी वर्ष से नया वर्चस्व बना रहा। वह अब भी जारी है। वस्तुतः यह देश के गौरव एवं नीति के विपरीत माना जाता है। अंग्रेज़ी से हमारा कोई विरोध नहीं। लेकिन एक विदेशी भाषा को अब भी सर्वाधिक मान्यता देकर हमारे जीवन के साथ अवसर-अनवसर पर उसे बनाये रखने की शठता से और उस मानसिकता से हमारा सख्त विरोध है। और हमारा यह विरोध स्वाभाविक और न्याययुक्त भी है। इसके कारण भी होते हैं।

आज तक जितने परिष्करण-संशोधन देश की प्रगति एवं समृद्धि केलिए किये गये हैं वे सब सफल हो चुके हैं। आज अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत अपनी बहुमुखी शक्ति एवं समृद्धि के कारण, अपने लोकतांत्रिक संकल्प के कारण और अपने वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण, अपनी आर्थिक-संपन्नता के कारण, अपने कार्षिक समृद्धि के कारण दुनिया के अन्य-समृद्ध एवं संपन्न राष्ट्रों के साथ गिने जाने की स्थिति तक आ पहुँचा है। पर देश की रक्षा के प्रतीकस्वरूप पताका, राष्ट्रगान के साथ राजभाषा का स्तर ऊँचा रखने में हम पिछड रह गये हैं। इस एकमात्र अभाव के कारण कभी-कभी राष्ट्र-हित-कांक्षियों के चिंतन में भारत स्वतंत्रता का पूर्ण स्वत्व-प्राप्त नहीं रह जाता है। हमें चाहिए इसके क्या क्या कारण होते हैं, खोज लेना है और उसका समाधान करके देश को गौरवान्वित कर दें। मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियाँ इस लक्ष्य की पूर्ति केलिए मनोनीत की जाएँ। अन्यथा अभी तक का तरीका अपनाना नहीं चाहिए। हिन्दी पखवाडे का प्रशंसात्मक कर्तृत्व मात्र अब राजभाषा का कार्यान्वयन सीमित रह गया है। हिन्दी भाषा आज युगीन ज़रूरतों की पूर्ति करने में सक्षम हो गयी है। इसमें हमें प्रसन्न होना चाहिए। हम चाहते हैं, राजभाषा के स्थान पर हिंन्दी का स्वत्वाधिकार निर्णीत हो। राजभाषा की योग्यता एवं उससे संबन्धित बातों पर अधिकारियों द्वारा पूर्वलिखित कतिपय लेख हमने इस अंक में छापे हैं, जिनको पढ़ने से हमें संप्रति विषय की समस्या का समाधान ढूँढ़ने में काफी आसरा प्राप्त हो सकता है।

डा.एन. चन्द्रशेखरन नायर

फा.सं. 11/ना.लि.परि./2010/2007 12-1-2010

संदेश

नागरी लिपि परिषद को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि "केरल हिंन्दी साहित्य अकादमी, तिरुवनन्तपुरम" द्वारा नागरी लिपि के प्रचार-प्रसार हेतु दिनांक-१६ जनवरी-२०१० को एस संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के अनेक विद्वान, गांधीवादी नेता, पत्रकार, प्राध्यापकगण, शिक्षाविद् एवं लिपि विशेषज्ञ, भाग ले रहे है।

नागरी लिपि निःसन्देह देश की एकता और भारतीय भाषाओं को एक-सूत्र में बांधने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगी। विनोबा जी चाहते थे कि भारतीय भाषाएं अपनी-अपनी लिपियों के साथ-साथ यदि देवनागरी लिपि का भी अतिरिक्त लिपि के रूप में प्रयोग करें तो इससे राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होगी और भारतीय भाषाएं एक दूसरे के समीप आएगी।

"मैं केरल हिंन्दी साहित्य अकादमी" को नागरी लिपि संगोष्ठी के आयोजन के लिए बधाई देता हूँ और संगोष्ठी की सफलता की कामना करता हूं।

नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ,

डॉ. परमानंद पांचाल

हिन्दी का अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

श्री बच्चूप्रसाद सिंह

हिन्दी संसार की श्रेष्ठ और समृद्ध भाषा है; इसके बारे में अब कही कोई विवाद नहीं रहा और इसे सिद्ध करने में कुछ अंश तक दो विश्व हिन्दी सम्मेलनों का योगदान भी अविस्मरणीय है। भारत के बाहर लगभग 100 विश्वविध्यालयों में हिन्दी का पठन-पाठन हो तथा विकसित और विकासशील देशों में इसकी लोकप्रियता निरन्तर बढ़ती जाए, यह भी इस बात का प्रमाण है कि हिन्दी का परिवार बृहत् और व्यापक बनता जा रहा है। मेरी यह धारणा है कि तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजन से विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार का मार्ग निश्चय ही प्रशस्त होगा एवं इस सम्मेलन के अवसर पर आयोजित अनेक संगोष्ठियों में जो चर्चाएँ होंगी उनसे हमारे देश के विद्वानों को विदेशों में हिन्दी के बारे में उपयोगी सूचनाएँ मिलेंगी तथा संसार भर में फैले हुए हिन्दी प्रेमियों के मध्य विचारों के आदान-प्रदान से पारस्परिक सद्भाव बढ़ेगा। देश की आज़ादी के बाद विदेशों के साथ हमारे राजनयिक और सांस्कृतिक संबंध अधिक सुदृढ़ हुए हैं और इस क्षेत्र में बहुत हद तक हिन्दी का भी योगदान रहा है। आज इस बात की सूचना पूरे प्रबुद्ध वर्ग को है कि हिन्दी मात्र भारत में ही नहीं, संसार के अनेक देशों में बड़ी लोकप्रिय है। प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने नागपुर में प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा था कि हिन्दी संसार की महान् भाषाओं में एक है और आज इसे देश और विदेश में करोड़ों लोग जानते हैं।

आज से प्रायः बारह-तेरह वर्ष पूर्व जब भारत की संसद् में यह चर्चा हुई कि भारत के बाहर लगभग 100 ऐसे विश्वविध्यालय हैं जहाँ हिन्दी के पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था है तो सभी को सुखद आश्चर्य हुआ। ये विश्वविध्यालय यूरोप, अमरीका, एशिया, आस्ट्रेलिया और अफ्रिका में हैं तथा उन देशों में हिन्दी तो विद्यमान है ही जहाँ भारतवंशियों की संख्या पर्याप्त है। इसी पृष्ठभूमि के साथ नागपुर में 1975 के जनवरी माह में प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में संसार के 30 देशों से अनेक विद्वान एवं प्राध्यापक आये तथा मारीशस का एक राजकीय प्रतिनिधिमंडल वहाँ के प्रधानमत्री श्री शिव सागर रामगुलाम के नेतृत्व में भाग लेने आया। श्री शिवसागर रामगुलाम ने अपने भाषण में हिन्दी के संबंध में कहा कि हिन्दी की लोकप्रियता भारत में तो है ही लेकिन हमारे लिए इस भाषा की एक ख़ास विशेषता है। हम अनेक एशियाई-अफ्रीकी देश इस भाषा को एक अन्तराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करते हैं।

सभी ने नागपुर सम्मेलन में यह दखा कि यूरोप, अमरीका, कनाडा, एशिया, आस्ट्रेलिया तथा अफ्रिका के अनेक देशों से आये लोग किस प्रकार धारा-प्रवाह हिन्दी में भाषण कर रहे थे। विदेशियों को भी इस बात की प्रसन्नता थी कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर वे अपने विचारों का आदान-प्रदान इस भाषा के माध्यम से कुशलतापूर्वक कर रहे थे। इस सम्मेलन ने हिन्दी के प्रति जो कुछ शंकाएँ लोगों के मन में थीं, उन्हें दूर किया और पहली बार उसी मंच से यह सिद्ध हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय धरातल पर पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए हिन्दी एक सर्वथा सशक्त एवं सक्षम भाषा है। उस सम्मेलन से हिन्दी की गौरववृद्धि के साथ-साथ एक विश्व हिन्दी परिवार की कल्पना साकार हुई और पहली बार एक विपुल जन-समुदाय ने यह महसूस किया कि हिन्दी के विकास तथा प्रचार की संभावनाएँ अपार हैं।

विश्व हिन्दी सम्मेलन, नागपुर में यह स्पष्ट दिखाई पड़ा कि हिन्दी के साथ संसार के अनेक देशों में जो लोग जुड़े हैं उनकी दो श्रेणियाँ हैं - एक हैं भारतवंशी जो भावनान्तक स्तर पर इस भाषा के साथ सदियों से जुड़े हुए है और दूसरी श्रेणी में वे लोग हैं जो इस भाषा का अध्ययन-अध्यापन शुद्ध भाषायी एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से करते हैं। मारीशस, फीजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद, जमैका, मलयेशिया, कीनिया, थाईलैण्ड, बर्मा, नेपाल तथा अनेक एसे देश जहाँ भारतवंशियों की संख्या पर्याप्त है और उनके बीच हिन्दी के लोकप्रिय होने का एक बड़ा कारण है कि वे या उनके पूर्वज भारत से गये थे और भारत के प्रति उनका आकर्षण सर्वथा स्वाभाविक है। यह बात सर्वथा स्पष्ट है कि वे जो भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति, सभ्यता, भारत की विरासत, भारत की विचार-धारा और इस देश के गौरवपूर्ण इतिहास तथा विशाल सम्भावनाओं से युक्त एशिया के इस महत्वपूर्ण भू-भाग को भली-भाँती जानना और समझना चाहते हैं, उन्हें भारत की एस प्रमुख भाषा के ज्ञान की आवश्यकता नितान्त महसूस होती है और इस दृष्टि से ही भारतवंशी बहुल देशों के अतिरिक्त अमरीका, कनाड़ा, रूस, पौलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, हालैण्ड तथा पश्चिमी यूरोप के अनेक देश जैसे यू.के., फ्रांस, इटली आदि में हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था विश्वविद्यालय तथा समकक्ष सुप्रसिद्ध संस्थाओं में अद्यतन एवं आधुनिक ढंग से किया गया है। इन देशों का एक बहुत बड़ा समुदाय कई दशकों से हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन, लेखन और प्रकाशन के द्वारा इस भाषा के प्रति अपनी अटूट निष्ठा का प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आज यदि हम यूरोप के देशों की ओर ध्यान दें तो यह हमारे लिए कुछ आश्चर्यजनक लगा है कि हिन्दी में गहनतम

पाठकीय प्रतिक्रिया

सम्पादकजी, 04-12-2009

आपकी शोध-पत्रिका केरल हिन्दी साहित्य अकादमी शोध-पत्रिका का अप्रैल-जुलाई ०९ अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद! राजभाषा हिन्दी को कार्य-व्यवहार की भाषा बताने के संबंध में भारत सरकार द्वारा संविधान संशोधन की आवश्यकता आपने बताई है। अब शायद वह समय निकल गया लगता है, क्योंकि अंग्रेज़ी का वर्चस्व बढता जा रहा है। केरल हिन्दी साहित्य अकादमी द्वारा लेखकों को विभिन्न सम्मान-पुरस्कार देकर सम्मानित करना अच्छा कार्य है।

डॉ. निर्मल सिंहल, सम्पादक, जनभाषा सन्देश, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली।

परम आदरणीय डॉ. नायर जी, सादर प्रणाम। 25-11-2009

शोध-पत्रिका, वर्ष १४, अंक ३ की प्रति मिली आभारी हूँ। संपादकीय टिप्पणी में आपने एक अलग नारा लगाया है - "हिन्दी राजभाषा न सही, इसे संपर्क भाषा बनाए। कई रोचक प्रसंग पर-संक्षिप्त आलेख्र प्रकाशित है - 'फक्कड कवि थे निराला', 'मानस', 'हिन्दी के ललित निबन्धकर', रिश्ता (कहानी), आदि। चिरंजीव महाकाव्य का तीसरा अध्याय विशेष आकर्षक है। समाचार के पृष्ठों में भी हिन्दी एवं साहित्यकारों की गतिविधियाँ हैं। यह अंक अति उत्तम है। आप इस आयु में भी यह सब कर जाते हैं! आपको कोटिशः नमन। आपका,

डॉ. अर्जुन शतपथी, आकाशवाणी मार्ग, जगदा, राउर्केला-769042

प्रियमहोदय / नमस्कार, 20-12-2009

साहित्यिक-सांस्कृतिक संस्था 'वय्' द्वारा फरवरी 2010 में 'हिन्दी साहित्यिक लघुपत्रिका प्रदर्शनी एवं कार्यशाला' का आयोजन किया जाना है। इस हेतु आपसे निवेदन है कि आपके द्वारा प्रकाशित/संपादित पत्रिका का नया/पुराना कोई भी एक अंक यदि उपलब्ध हो सके तो कृपया भेजने का कष्ट करे, प्रदर्शनी में शामिल कर हमें प्रसन्नता होगी। धन्यवाद। **प्रदीप जिलवाने, 112/26 पहाड़ सिंगपुरा, मारुमन्दिर के पास, खरगोन-451001 (म.प्र.)**

मान्यवर डॉ. साहब, सादर अभिवादन 23-11-2009

आप द्वारा प्रेषित 'केरल हिन्दी साहित्य अकादमी' का अप्रैल-जुलाई अंक कल प्राप्त हुआ। यह अंक निस्संदेह उच्चस्तरीय, प्रशंसनीय एवं ज्ञानवर्द्धक है। इसके संपादक एवं सूत्रधार के रूप में आप सर्वथा-सर्वप्रकारेण अभिनन्दनीय हैं। इसमें समाविष्ट सामग्री उत्कृष्ट कोटि की है। इसमें संकलित दो लघु एवं ललित कहानियाँ आपके चयन-कौशल को प्रमाणित करती हैं। चिरंजीव महाकाव्य के अन्तर्गत सम्मिलित श्री हनुमान जी का प्रसंग पाठकों को भक्तिरस विभोर करेगा। साथ ही यह प्रेरणाप्रद भी है।

स्वस्थ रहकर आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे। परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमन/आशीर्वाद यथायोग्य। उत्तरापेक्षी, **डॉ. श्यामसुन्दर शुक्ल, पूर्व प्रोफसर, हिन्दी विभाग, काशी वि.वि., वारणसी-221005**

आदरणीय नायरजी, 15-01-2010

'केरल हिंन्दी साहित्य शोध पत्रिका' के अप्रैल-जुलाई 2009 अंक का हाल में ही अवलोकन किया। पत्रिका में सभी रचनाएं उच्च कोटि की लगीं। आपका संपाद्कीय भी मैने पढ़ा और आपके विचारों से पूरी तरह सहमत हूं और इसमें हर स्तर पर सहयोग देने केलिए भी तत्पर हूँ। इसी नाते आपको बधाई देने के लिए यह पत्र लिख्र रहा हूं। आपको और आपकी संपादकीय टीम के सभी सदस्यों को नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ हार्दिक वधाई।

आपका,

अरविंद कुमार सिंह, परामर्शदाता, भारतीय रेल, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली-१

विषयों, उसके भाषायी और साहित्यिक पक्ष पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शोध कार्य अबाध-गति से चल रहा है। यार्क और लन्दन विश्वविद्यालयों में अनेक लोग हिन्दी भाषा और साहित्य का मनोयोगपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। फ्रांस में हिन्दी के अध्यापन की समुचित व्यवस्था है और पश्चिमी जर्मनी तथा पूर्वी जर्मनी दोनों में सुयोग्य प्राध्यापकों के सान्निध्य में अनेक लोग इस भाषा के विभिन्न पक्षों से दिनोंदिन सुपरिचित होते जा रहे है। भाषा के अध्ययन-अध्यापन के अतिरिक्त अनेक देशों में जनसंचार के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग हो रहा है। लन्दन से ही दो साप्ताहिक समाचार-पत्र अनेक वर्षों से प्रकाशित हो रहे हैं और उनका भी एक पाठक समुदाय है। आज यू.के. के अनेक हिस्सों में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और लन्दन का तो एक हिस्सा ही जैसे भारतीय बहुल भू-खण्ड हो गया है। भारतीय बच्चों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाने की सुविधा प्रदान की जाए, इस ओर यू.के. सरकार का शिक्षा विभाग सचेष्ट है ओर मुझे यह स्वयं देखने का अवसर मिला कि राष्ट्मण्डल सचिवालय भी इस विषय में रुचि ले रहा है। लन्दन और बर्मिघम के इलाकों में बच्चों को हिन्दी एवं भारतीय भाषा सिखाने की समुचित व्यवस्था के लिए सभी प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं।

मुझे कई बार संसार के अनेक विश्वविद्यालयों में जाने का सौभाग्य और सुअवसर प्राप्त हुआ है। मुझे आज भी याद है कि कैम्ब्रिज के प्रौफेसर मैग्रेगर ने किस आत्मीयता के साथ मुझे अपने विश्वविद्यालय का पुस्तकालय आज से अनेक वर्ष पूर्व दिखाया था और उन्होंने यह कहा था कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हिन्दी की कई हस्तलिखित पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर हिन्दी साहित्य के इतिहास में कुछ नयी बातें जोड़ी जा सकती हैं। संसार के इन हिन्दी प्रेमी विद्वानों से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि हमारी भाषा और हमारे हिन्दी साहित्य के लिए इन विद्वानों का योगदान एक दिन निश्चय ही अद्भुत सिद्ध होगा। जो लोग साहित्य के क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन होने वाले अनुसंधान, अनुशीलन की ओर निगाह रखते हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान है कि भारत के बाहर अनेक विद्वान हमारी भाषा के विभिन्न पक्षों पर बड़ी सक्षमता के साथ विशेष अध्ययन कर रहे हैं और उनके अनुशीलन का परिणाम हमारे साहित्य को एक नया आयाम दे सकेगा।

बी.बी.सी. की हिन्दी सेवा के बारे में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके हिन्दी कार्यक्रम वर्षों से लगातार चले आ रहे हैं और संसार के अनेक देशों में हिन्दी प्रेमी लोग इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आज बी.बी.सी. के हिन्दी एकक ने संसार के सुप्रसिद्ध प्रचार माध्यमों के बीच अपना एक सम्मानपूर्वक स्थान बना लिया है और उनकी कुशलता की सराहना अनेक लोग किया करते हैं।

सोवियत संघ के अनेक प्राध्यापक, पत्रकार एवं साहित्य सेवी हिन्दी की श्रीवृद्धि में अनेक वर्षों से लगे हैं। अनुवाद के माध्यम से हिन्दी को सोवियत संघ में लोकप्रिय बनाने में इन विद्वानों का योगदान अविस्मरणीय है। बारान्निकोव से लेकर प्रो. चेलिशेव, प्रो. दिम्शित्ज़ और अन्य अनेक सुविज्ञ विद्वानों के नाम से आज हिन्दी का पाठक सुपरिचित है। रूस के विद्वानों के योगदान की चर्चा किसी एक निबन्ध के कलेवर में कदापि नहीं समा सकती, क्योंकि हमारे देश के चैतन्य पाठक यह भली प्रकार जानते हैं कि रूसी विद्वानों ने रामायण से लेकर हमारे देश के अनेक आधुनिक कवियों और लेखकों की रचनाओं का रूसी में अनुवाद किया है और हिन्दी के अनेक साहित्यिक अनुष्ठानों का उन्होंने रूस की धरती पर उल्लासपूर्वक आयोजन किया है तथा हमारे मनीषियों और लेखकों के प्रति रचनात्मक ढंग से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अभी प्रेमचन्द शताब्दी के अवसर पर रूस में कई रचनाएँ प्रकाशित हुई।

यूरोप के विद्वानों के सन्दर्भ में प्रो. लोठार लुत्से, प्रो. गात्स्लाफ, हालैण्ड के प्रो. शोकर, डेनमार्क के प्रो. थीसन, पोलैण्ड के ब्रिस्की, इटली के प्रो. तुर्बियानी, फ्रांस की प्रो. निकोल बलबीर, हंगरी की प्रो. इवा अरादी और रूस की साजानोवा, चेकोस्लोवाकिया के प्रो. स्मैकल आदि अन्य अनेक विद्वानों के नाम हिन्दी के पाठकों के लिए सर्वथा सुपरिचित हैं। इन विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से हिन्दी की सेवा की है और वे इस दिशा में सतत प्रयत्नशील हैं। अब तक आयोजित नागपुर तथा मारीशस के विश्व हिन्दी सम्मेलनों ने इन विद्वानों को हमारे देश के हिन्दी प्रेमियों के समीप ला दिया है और आज यूरोप तथा अन्य देशों के कई विद्वानों की रचनाएँ भारत में छपती, बिकती तथा पढ़ी जाती हैं।

यूरोप के अतिरिक्त अमरिका में भी आज कई दर्जन ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ हिन्दी का समुचित पठन-पाठन हो रहा है। प्रसन्नता की बात तो यह है कि हिन्दी की आधुनिक रचनाएँ, भी उनके पास उपलब्ध हैं। अमरीका की कांग्रेस लाइब्रेरी के माध्यम से भारत में छपने वाली प्रायः हिन्दी की सभी रचनाएँ प्रमुख विश्वविद्यालयों को सहज ही सुलभ हो जाती है। संसार के इन विश्वविद्यालयों में हिन्दी के अतिरिक्त भारत की कई अन्य भाषाओं का भी अध्ययन-अध्यापन होता है। तमिल, बंगला, तेलुगु, उर्दु, मराठी आदि भाषाओं के अध्यापन की भी वहाँ समुचित व्यवस्था है।

हिन्दी की लोकप्रियता का एक सबल पक्ष प्रस्तुत करते हैं - मारीशस, फीजी और सुरीनाम जैसे देश, जहाँ हिन्दी आज भी लोकप्रिय है। इन देशों से हिन्दी की अनेक पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं। फीजी के संविधान में तो संसद में हिन्दी के प्रयोग का भी प्रावधान किया गया है और मारीशस के लोग तो

हिन्दी को अपने जीवन का अविच्छिन्न अंग मानते हैं। यही कारण है कि आज मारीशस के सर्वश्री अभिमन्यु अनत सोमदत बख्तौरी और दूसरे लेखक, कवि, कथाकार अत्यन्त लोकप्रिय हैं और उनकी रचनाएँ हमारे देश की पत्र-पत्रिकाओं में बराबर छपती हैं। मुझे याद है कि आज से लगभग एक दशक पूर्व जब मारीशस के लेखक हिन्दी में अपनी पहचान बनाने को आतुर एवं उत्सुक थे तो कई लोगों को यह कुछ असम्भव सा प्रतीत दिखाई पड़ता था लेकिन आज अपनी सृजन शक्ति के बल पर मारीशस के लेखकों ने हिन्दी के पाठकों के बीच अपना एक सम्मानपूर्ण स्थान बना लिया है और मुझे मालूम है कि मारीशस के लेखक और कवि हिन्दी के शुभचिन्तकों से यह मांग करते हैं कि हिन्दी साहित्य के इतिहास में इन लोगों के लिए भी स्थान सुरक्षित किया जाए जो भारत के बाहर रहकर हिन्दी की सेवा एवं श्रीवृद्धि कर रहे हैं। इस संन्दर्भ में फीजी के पंडित कमला प्रसाद मिश्र जैसे समर्पित कवि और लेखक का स्मरण हो आता है जिन्होंने अपने देश में अपनी लेखनी के बल पर हिन्दी पत्रकारिता एवं साहित्य का एक उच्च मानदण्ड स्थापित किया है।

फीजी के ही डॉ. विवेकानन्द शर्मा, श्री. जे.एस. कंवल, श्री बलराम वशिष्ठ जेसे अनेक लोगों ने अपनी रचनाओं के बल पर हिन्दी के भण्डार को समृद्ध किया है। फीजी के पास ही आस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में प्रो. बार्ज जैसे विद्वान अत्यन्त परिश्रमपूर्वक हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन में लगे हैं और उनकी साधना हिन्दी को एक नया स्वरूप प्रदान कर रही है। मुझे कैनबरा में यह देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रो. बार्ज कितनी कठिनाई के साथ अपने छात्रों को हिन्दी की क्रिया की विशेषताएँ, समझाने में तल्लीन थे और मुझे आभास हुआ कि विदेशों में दूसरे देश की भाषा सिखाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

आस्ट्रेलिया के बाद यदि हम एशियाई देशों की ओर ध्यान दें तो इस सन्दर्भ में जापान के प्रो. के. दोई की सेवाओं को कदापि भुलाया नहीं जा सकता। उनकी सेवाओं के प्रति समस्त जापान के हिन्दी-प्रेमी समुदाय नतमस्तक हैं और उन्होंने अपनी निरन्तर साधना के बल पर जापान के सैंकडों विद्यार्थियों को हिन्दी के अध्ययन के लिए प्रेरित किया। हमें दुःख है कि वे अब इस संसार में नहीं रहे। इसी प्रकार आज प्रो. मिजोकामी, प्रो. कोगा और प्रो. सुजुकी जैसे लोग अपने अध्यवसाय के बल पर पत्र-पत्रिकाएँ निकालकर जापान और भारत के बीच सांस्कृतिक धरातल पर एक सेतु निर्माण का कार्य कर रहे हैं। इन सभी के पीछे प्रो. दोई को ही प्रेरणा का स्त्रोत मानना पड़ेगा। जीवन के अन्तिम दिनों तक वे विश्व हिन्दी परिवार के साथ संबद्ध रहे और संसार के अन्य हिन्दी प्रेमियों के साथ उनका बड़ा ही स्नेहपूर्ण संबंध था।

एशियाई देशों के ही सन्दर्भ में हम अपने पड़ोसी देशों के हिन्दी प्रेम को भूला नहीं सकते। बंगलादेश में प्रो. अहसान और तालुकदार जैसे लोग हिन्दी की सेवा वर्षों से करते रहे हैं। श्रीलंका के कलानिया विश्वविद्यालय में हिन्दी का एक विभाग है। पाकिस्तान में अनेक हिन्दी-प्रेमी हैं जिनमें से कुछ तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन में पधारने वाले हैं। अपने प्रतिवेदी देशों में भी हिन्दी का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। नेपाल की भाषा नेपाली है जो भाषायी दृष्टि से हिन्दी के बहुत समीप है और नेपाल में अनेक लेखक एवं पत्रकार निरन्तर हिन्दी की सेवा कर रहे हैं। इन कवियों और लेखकों की रचनाओं से हमारे पाठक सर्वथा अभिज्ञ हैं। हिन्दी के प्रचार-प्रसार की दिशा में चीन की सेवा को भुलाया नहीं जा सकता। आज चीन में अनेक ऐसे मौन साधक हैं जो हिन्दी की सेवा कर रहे हैं। चीन के विश्वविद्यालयों तथा प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाओं में हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन वर्षों से हो रहा है। चीन के प्रो. लयूकोनान की सेवाओं से अनेक लोग सुपरिचित हैं। उन्होंने भारत के विभिन्न प्रदेशों के इतिहास पर कार्य किया है। भारत की अनेक प्रसिद्ध रचनाओं का भी उन्होंने अनुवाद किया है। चीन के ही चिन तिंग हान की सेवा से हम सुपरिचित हैं। उन्होंने पेकिंग विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग को अपनी सेवाएँ समर्पित कीं और हिन्दी-चीनी, शब्दकोश, हिन्दी-चीनी मुहावरा कोश की संरचना में सहयोग दिया तथा प्रेमचन्द के उपन्यास 'निर्मला' का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इसी प्रकार थाईलैण्ड, मलयेशिया और सिंगापुर के अनेक हिन्दी प्रेमी इस ओर सर्वथा दत्तचित और सचेष्ट हैं कि हिन्दी के माध्यम से उनके देश को भारत की मनीषा का परिचय प्राप्त होता है। हिन्दी का यह आलोकपुंज भारत की चिरन्तन सत्य, निष्ठा, प्रेम और सहिष्णुता, विश्वशान्ति तथा सद्भाव का संदेश पूरे मानव समुदाय को देता रहे, यही तो हमारा अभीष्ट है ताकि तुमुल कोलाहल, कलह के बीच हृदय की बात न्यायोचित स्थान प्राप्त कर सके।

(त्रिदीय विश्व हिन्दी सम्मेलन पत्रिका से साभार)

भारत के विभिन्न प्रदेशों के बीच हिन्दी प्रचार के द्वारा एकता स्थापित करने वाले सच्चे भारतबंधु है।

-अरविंद

भारत की राजभाषा नीति और उसका कार्यान्वयन

श्री देवेंद्रचरण मिश्र

किसी भी प्रजातांत्रिक देश में राजकाज़ की भाषा उसकी जनता की भाषा होती है। इस विशाल भारत में 1652 भाषाएँ बोली जाती हैं जिनमें से 15 भाषाओं को संविधान में राष्ट्रभाषा के रुप में मान्यता दी गई है। संघ सरकार के राजकाज़ के कार्य तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच संपर्क भाषा की भूमिका निभाने का उत्तरदायित्व हिन्दी को ही सौपा गया क्योंकि इसे भारत देश के अधिकांश लोग बोलते और समझते हैं तथा यह भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराओं से जुड़ी हुई है।

भारत संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार देवनागरी में लिखित हिन्दी संघ की राजभाषा है, लेकिन 343 (2) के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई कि संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि तक, अर्थात सन् 1965 तक संघ के सभी सरकारी कार्यों के लिए पहले की भाँति अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई थी कि इस बीच हिन्दी न जानने वाले हिन्दी सीख जाएँगे और हिन्दी भाषा को प्रशासनिक कार्यों के लिए सभी प्रकार से सक्षम बनाया जा सकेगा। उपर्युक्त 15 वर्षों की अवधि में भी, अर्थात 1965 के पहले भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी काम के लिए अंग्रेज़ी के अलावा हिन्दी के प्रयोग की अनुमति दे सकते थे। अनुच्छेद 334 (3) में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 1965 के बाद भी सरकारी कामकाज में अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रखने के बारे में व्यवस्था कर सकती है। अनुच्छेद 344 में यह कहा गया कि संविधान प्रारंभ होने के 5 वर्षों के बाद और फिर उसके 10 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग बनाएँगे, जो अन्य बातों के साथ-साथ संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में और संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग पर रोक लगाए जाने के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए इस अनुच्छेद के खंड-4 के अनुसार 30 संसद सदस्यों की एक समिति के गठन की भी व्यवस्था की गई।

1950 में हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित किए जाने पर यह अनुभव किया गया कि हिन्दी के माध्यम से प्रकाशन का कार्य चलाने के लिए कुछ प्रारंभिक तैयारियों की आवश्यकता पडेगी, जैसे - प्रशासनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं विधि-शब्दावली का निर्माण, प्रशासनिक एवं विधि-साहित्य का हिन्दी में अनुवाद, अहिन्दी भाषी सरकारी कर्मचारियों का हिन्दी प्रशिक्षण और हिन्दी टाईपराइटरों एवं अन्य साधनों की व्यवस्था आदि।

शब्दावली निर्माण : शब्दावली निर्माण के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 1950 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी बोर्ड की स्थापना की। इसके मार्ग-दर्शन में शिक्षा मंत्रालय के हिन्दी विभाग ने तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य चालू किया। बाद में हिन्दी विभाग का विस्तार होते-होते सन् 1960 में केंद्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना हुई। इसके कुछ समय बाद 1961 में राष्ट्रपति के आदेशानुसार वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयेगा। की भी स्थापना की गई। निदेशालय तथा आयोग ने अब तक विज्ञान, मानाविकी, आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी, कृषि तथा प्रशासन आदि के लगभग 4 लाख अंग्रेज़ी के तकनीकी शब्दों के हिन्दी पर्याय प्रकाशित कर दिए हैं। इसी प्रकार राजभाषा (विधायी आयोग) तथा राजभाषा खंड ने विधि शब्दावली का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया है।

प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद : केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के मैनुअलों, संहिताओं, फार्मों आदि का अनुवाद-कार्य पहले शिक्षा मंत्रालय़ के केंद्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा किया जाता था। बाद में मार्च, 1971 से यह कार्य गृह मंत्रालय के अधीन स्थापित केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौपा गया है। ब्यूरो ने निदेशालय द्वारा अनूदित साहित्य के अतिरिक्त अब तक अनेक मैनुअलों/फार्मों/रिपोर्टों आदि का अनुवाद करके विभिन्न मंत्रालयों को उपलब्ध करा दिया है। इस समय ब्यूरो मंत्रालयों/विभागों के अतिरिक्त अन्य सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों आदि के मैनुअलों का भी अनुवाद कर रहा है। उसी प्रकार विधि मंत्रालय के राजभाषा खंड ने भी अब तक अधिकांश केंद्रीय अधिनियमों एवं नियमों आदि का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत कर दिया है और यह कार्य तिरंतर चल रहा है।

हिन्दी शिक्षण योजना : केंद्रीय सरकार के हिन्दी न जानने वाले सरकारी कर्मचारियों के हिन्दी शिक्षण का कार्य शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में 1952 में प्रारंभ हुआ था, किंतु बाद में लिए गए निर्णय के अनुसार अक्टूबर, 1955 से यह कार्य गृह मंत्रालय के तत्वावधान में हो रहा है। प्रारंभ में यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए था, जो स्वेच्छा से हिन्दी पढ़ना चाहते थे। बाद में अप्रैल, 1960 में राष्ट्रपति के आदेश के अधीन हिन्दी का सेवा-कालीन प्रशिक्षण उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्म चारीयों के लिए अनिवार्य कर दिया गया, जो 1-1-1961 को 45 वर्ष के नहीं हुए थे। इसी प्रकार टंकों और आशुलिपिकों के लिए भी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि का

प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। इस समय देश भर में हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण के लगभग 150 केद्र चल रहे हैं।

उपयुक्त प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप हिन्दी के विकास एवं प्रसार में अच्छी प्रगति हुई है किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस प्रगति का जायजा लेने के लिए संविधान की धारा 344 के अनुसार 1955 में एक राजभाषा आयोग बनाया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की। उसकी सिफारिशों पर विचार करने के लिए 1957 में एक संसदीय समिति बनाई गई थी। इन दोनों की राय यह थी कि 1965 के बाद भी अंग्रेज़ी का प्रयोग चलते रहना चाहिए, तद्नुसार 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया, जिसका 1967 में संशोधन किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएँ नीचे दी जा रही हैं:

राजभाषा के संबंध में साबैधानिक व्यवस्थाएँ

1. अधिनियम की धारा 3 के अनुसार (क) संघ के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए 26 जनवरी, 1965 से तत्काल पूर्व अंग्रेज़ी का प्रयोग किया जा रहा था और (ख) संसद में कार्य निष्पादन के लिए 26 जनवरी, 1965 के बाद भी हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेज़ी का प्रयोग ज़ारी रखा जा सकेगा।
2. केंद्र सरकार और हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले किसी राज्य के बीच पत्राचार अंग्रेज़ी में होगा, बशर्ते उस राज्य ने इसके लिए हिन्दी का प्रयोग करना स्वीकार न किया हो। उसी प्रकार, हिन्दीभाषी राज्यों की सरकारें एसे राज्यों की सरकारों के साथ अंग्रेज़ी में पत्राचार करेंगी और यदि वे एसे राज्यों को कोई पत्र हिन्दी में भेजती हैं तो साथ-साथ उसका अंग्रेज़ी अनुवाद भी भेजेंगी। पारस्परिक समझौते से यदि कोई भू दो राज्य आपसी पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग करें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों आदि के बीच पत्र-व्यवहार के लिए हिन्दी अथवा अंग्रेज़ी का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जब तक संबधित कार्यालयों, आदि के कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न कर लें, तब तक पत्रादि का दूसरी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया जाता रहेगा।
4. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार निम्नलिखित कागज़-पत्रों के लिए हिन्दी और अंग्रेज़ी, दोनों का प्रयोग अनिवार्य है :

   1. संकल्प, 2. सामान्य आदेश, 3. नियम, 4. अधिसूचनाएँ, 5. प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट, 6. प्रेस विज्ञाप्तियाँ, 7. संसद् के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट एवं, 8. सरकारी कागज़-पत्र, 9. संविदाएँ, 10. करार, 11. अनुज्ञप्तियाँ, 12. अनुज्ञापन, 13. टेडर नोटिस और 14. टेंडर फार्म।
5. धारा 3(4) के अनुसार अधिनियम के अधीन नियम बनाते समय यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि यदि केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी हिन्दी या अंग्रेज़ी में से किसी एक ही भाषा में प्रवीण हो, तो वह अपना सरकारी कामकाज़ उसी भाषा में कर सकता है। और केवल इस आधार पर कि वह दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं है, उसका कोई अहित नहीं होना चाहिए।
6. राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 द्वारा अधिनियम की धारा 3(5) के रूप में यह उपबंध किया गया है कि उपर्युक्त विभिन्न कार्यों के लिए अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रखने संबंधी व्यवस्था तब तक जारी रहेगी, जब तक हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्यों के विधान मंडल अंग्रेज़ी का प्रयोग खत्म करने के लिए आवश्यक सकल्प पारित न करें और इन संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद का प्रत्येक सदन भी इसी आशय का संकल्प पारित न कर दें।
7. अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए अथवा पारित किसी निर्णय, डिक्रि अथवा आदेश के लिए, अंग्रेज़ी भाषा के अलावा, हिन्दी अथवा राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है। तथापि यदि कोई निर्णय, ड़िक्रि या आदेश अंग्रेज़ी से भिन्न किसी भाषा में दिया या पारित किया जाता है तो उसके साथ-साथ संबंधित उच्च न्यायालय के प्राधिकार से अंग्रेज़ी भाषा में उसका अनुवाद भी किया जाएगा। अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के राज्यपालों ने अपने उच्च न्यायालयों में उपयुक्त उद्देश्यों के लिए राष्ट्रपति से हिन्दी के प्रयोग की अनुमति ली है।

राजभाषा अधिनिय़म परित करने के साथ-साथ दिसम्बर 1967 में संसद के दोनों सदनों ने सरकार की भाषा-नीति के संबंध में एक सरकारी संकल्प भी पारित किया। इस संकल्प के पैरा-1 के अनुसार केंद्रीय सरकार हिन्दी के प्रसार तथा विकास और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए, उसके प्रयोग में तेजी लाने के लिए एक अधिक गहन और विस्तृत कार्यक्रम तैयार करेगी और उसे कार्यान्वित करेगी। इसके अतिरिक्त

इस संबंध में किए गए उपायों तथा उसमें हुई प्रगति का ब्यौरा देते हुए तक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर प्रस्तुत करेगी। सन् 1968 से निरंतर वार्षिक कार्यक्रम बनाया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/ विभागों से अनुरोध किया जाता है कि हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए उसके अनुसार कार्यवाई करें। अब तक इस प्रकार की 12 रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जा चुकी हैं और 13 वीं रिपोर्ट मुद्रणाधीन है।

राजभाषा नियम 1976

सरकारी कामकाज़ में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे हिन्दी के प्रयोग में काफी सहायता मिली है। इस नियम की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ इस प्रकार हैं :

क. केंद्र सरकार के कार्यालयो से 'क' क्षेत्र के किसी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्य और संघ राज्य श्रेत्र दिल्ली) को या ऐसे राज्यों में स्थित किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र आदि हिन्दी में भेजे जाएँगे। यदि किसी ख़ास मामले में एसे कोई पत्र अंग्रेज़ी में भेजा जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा।

ख. केद्र सरकार के कार्यालयों से 'ख' क्षेत्र के किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र (पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य तथा चंडीगढ़ और अंड़मान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र) के प्रशासनों को भेजे जाने वाले पत्र आदि सामान्यत: हिन्दी में भेजें जाएँगे। यदि एसा कोई पत्र अंग्रेज़ी में भेजा जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा। इन राज्यों में रहने वाले किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रादि हिन्दी या अंग्रेज़ी, किसी भी भाषा में हो सकते हैं।

ग. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में 'ग' क्षेत्र के किसी राज्य संघ क्षेत्र ('क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल न होने वाले सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) के किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेज़ी में भेजे जाएंगे। यदि ऐसा कोई पत्र हिन्दी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेज़ी अनुवाद साध भेजा जाएगा।

घ. केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र व्यवहार हिन्दी या अंग्रेज़ी में हो सकता है। किंतु केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय/ विभाग और 'क' क्षेत्र में स्थित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच होने वाला पत्र-व्यवहार सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात मैं हिन्दी में होगा। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कम से कम दो तिहाई पत्र-व्यवहार हिन्दी में होना चाहिए। 'क' क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के किन्हीं दो कार्यालयों के बीच सभी पत्र-व्यवहार हिन्दी में ही किए जाने का प्रावधान है।

ङ. हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिए जाएंगे। हिन्दी में लिखे या हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए आवेदनों या अभ्यावेदनों के उत्तर भी हिन्दी में दिए जाएँगे।

च. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज़ों के लिए हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की होगी।

छ. केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी फाइलों में हिन्दी या अंग्रेजी में टिप्पणि या मसौदे लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी प्रस्तुत करे।

ज. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएँ और अन्य प्रक्रिया साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों में द्विभाषिक रूप में तैयार और प्रकाशित किए जाएँगे। सभी फामों और रजिस्टरों के शीर्ष, नामपट्ट, स्टेशनरी, आदि की अन्य मदे भी हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में होगी।

झ. जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान है, उन्हें अधिसूचित किया जाएगा। इस प्रकार अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट (स्पैसीफाई) करके उनमें काम करने वाले हिन्दी में प्रवीण कर्मचारियों को नोटिंग, ड्राफ्टिंग आदि में केवल हिन्दी का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा सकता है।

ण. प्रत्येक कार्य्रालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें।

राजभाषा-नीति के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों पर है। इस नीति के समन्वय का कार्य राजभाषा विभाग करता है। यह विभाग समन्वय के लिए वार्षिक कार्यक्रमों को जारी करने के अलावा अन्य कई समितियों के माध्यम से यह कार्य कर रहा है, जिनका विवरण इस प्रकार है :

1. कैंद्रीय हिन्दी समिति : हिन्दी के विकास और प्रसार तथा

सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का समन्वय करने और नीति-संबंधी दिशा-निर्देश देने वाली यह सर्वोच्च समिति है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित इस समिति में केंद्रीय सरकार के 11 मंत्री एवं राज्यमंत्री, राज्यों के 8 मुख्यमंत्री, 7 संसद सदस्य तथा हिन्दी के 10 विशिष्ट विद्वान शामिल है। राजभाषा विभाग के सचिव एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार इसके सदस्य सचिव हैं।

2. हिन्दी सलाहकार समितियाँ : सरकार का यह निर्णय है कि राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और इस संबंध में आवश्यक सलाह देने के लिए जनता के साथ अधिक संपर्क में आने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियाँ गठित की जएँ। इस निर्णय के अनुसार अब तक 27 मंत्रालयों में उनके मंत्रियों की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में संसद सदस्यों तथा हिन्दी विद्वानों के अतिरिक्त मंत्रालय विशेष के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। वे अपने-अपने मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में आवश्यक विचार-विमर्श करके निर्णय लेते हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ : केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोडकर) 25 या इससे अधिक है, वहाँ राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ बनाई गई हैं। 1976 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार ऐसे 58 नगरों में भी, जहाँ 10 या इनसे अधिक केंद्रीय कार्यालय हैं, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। मंत्रालयों/विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों को मिलाकर एक केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वित समिति बनाई गई है जो उनकी समस्याओं पर आंतरिक रूप से विचार करके उनका समाधान ढूँढती है।

राजभाषा के प्रयोग, प्रचार और प्रसार में यांत्रिक साधनों का अत्यन्त महत्व है। अब तक ये साधन केवल अंग्रेजी के लिए ही उपलब्ध थे परंतु राजभाषा विभाग के सतत् प्रयास से इस क्षेत्र में आशाजनक प्राप्ति हुई है। कुछ वर्ष पहले देवनागरी के टाइपराइटरों का उत्पादन मांग के अनुसार नहीं था। किंतु अब औद्योगिक विकास-विभाग, पूर्ति तथा निपटान महनिदेशालय एवं टाइपराइटर बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के सहयोग से देवनागरी टाइपराइटरों के उत्पादन में प्रगति हुई है। इस समय देवनागरी टाइपराइटरों का उत्पादन माँग के अनुसार है।

कंप्यूटर में देवनागरी लिपि तथा भारतीय भाषाओं के प्रयोग की सुविधाओं के विकास के संबंध में इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा इनैक्ट्रानिकी आयोग द्वारा विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। ई.सी.आई.एल., बिरला इंस्टीट्यूट पिलानी, टाटा ब्रदर्स बंबई ने एसे कंप्यूटरों के प्रोटोटाइप बनाए हैं जिनमें हिन्दी का प्रयोग किया जा सकेगा।

संचार मंत्रालय के अधीन एक सरकारी उपक्रम हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड द्वारा इलैक्ट्रानिकी टेलीप्रिंटर्स बनाए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर्स के देवनागरी कुंजी-पटल की डिज़ाइन निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया जा चुका है।

इसी प्रकार इलैक्ट्रिक टाइपराइटरों, पतालेखी मशीनों और पिनप्वाइंट टाइपराटरों के निर्माण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत सरकार के प्रेसों की हिन्दी मुद्रण क्षमता कुछ समय पहले तक संतोषजनक नहीं थी। आवास तथा निर्माण मंत्रालय के सहयोग से मुद्रण निदेशालय ने हिन्दी मुद्रण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जिससे इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। पहले हिन्दी मुद्रण क्षमता केवल 400 पृष्ठ प्रतिदिन थी, अब यह बढ़कर 1200 पृष्ठ प्रतिदिन तक पहुँच गई है।

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होगा कि राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में पर्याप्त वृद्धि हुई है, किंतु अब भी इसके मार्ग में बहुत सी रुकावटें हैं। यद्यपि अब तक पर्याप्त संख्या में साविधानिक एवं गैर सांविधानिक साहित्य का अनुवाद हो चुका है, फिर भी अभी अनेक मैनुअलों, नियमों, अधिनियमों आदि का हिन्दी अनुवाद नहीं हो पाया है और सभी अनूदित साहित्य का अभी तक न तो प्रकाशन हो पाया है और न प्रचार ही। परिणामस्वरूप उनसे संबधित क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग करने में कठिनाईयाँ आ रही हैं। जो सरकारी कर्मचारी हिन्दी जानते भी हैं, वे भी द्विभाषिक रूप में कार्य करने की छूट होने कारण हिन्दी के बजाए अंग्रेज़ी में ही काम करना पसन्द करते है। इसका कारण यह हे कि एक तो वे पहले से अंग्रेजी में काम करने के अभ्यस्त रहे है, दूसरे हिन्दी में काम करने में वे कुछ हीनता अथवा संकोच का अनुभव करते हैं।

हिन्दी भाषी राज्य सरकारें भी, जहाँ अधिकांश कर्मचारी हिन्दी जानते हैं, अभी तक संपूर्ण कार्य हिन्दी में नहीं कर रही हैं। इससे अन्य राज्यों में हिन्दी का प्रयोग करने पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

यद्यपि राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम के अनुसार अनेक कागज़ पत्रों एवं प्रकाशनों को द्विभाषिक रूप में अथवा हिन्दी और अंग्रेज़ी में अलग-अलग जारी करना पडता हे, तथाभि सरकारी प्रेसों की हिन्दी की मुद्रण क्षमता अभी भी संतोषजनक

विश्व की प्रमुख भाषाओं में हिन्दी का स्थान

डॉ. रामजीलाल जांगिड

विश्व भर में बोलचाल के लिए लगभग 3,500 भाषाओं और बोलियों का प्रयोग किया जाता है, किंतु एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक लिखकर बात पहुँचाने में इनमें से 500 से अधिक भाषाओं या बोलियों का इस्तेमाल नहीं होता। मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के संचार के लिए काम आने वाली भाषाओ में से लगभग 16 भाषाएँ ऐसी है, जिनका ब्यवहार 5 करोड़ से अधिक लोग करते हैं। विश्व की ये 16 प्रमुख भाषाएँ हैं: अरबी, अंग्रेज़ी, इतालवी, उर्दू, चीनी परिवार की भाषाएँ, जर्मन, जांपानी, तमिल, तेलुगु, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, बंगला, मलय-बहासा (भाषा), रूसी, स्पेनी और हिन्दी।

यह गौरव की बात है कि भारत ही ऐसा एकमात्र देश है, जिसकी पौच भाषाएँ विश्व की 16 प्रमुख भाषाओं की सूची में शामिल हैं। भारतीय भाषाएँ बोलने वाले व्यक्ति भारत साहित 137 देशों में फैले हुए हैं। लेकिन यह दुःख की बात है कि इस सूची में शामिल भारतीय भाषाओं में प्रमुख हिन्दी का व्यवहार करने वालों की प्रामाणिक संख्या अब तक नहीं जानी जा सकी है।

विश्व की प्रमुख भाषाओं का व्यवहार करने वालों के बारे में पष्चिमी देशों के कई विद्धानों ने सर्वेक्षण किए हैं, किंतु इन सब के निष्कर्षों में हज़ारों का अंतर है। दुर्भाग्यवश एक भी पश्चिमी विद्धान ऐसा नहीं है, जिसने भारत की जनगणना में मातृभाषाओ के बारे में एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण

नहीं है। इससे न तो हिन्दी के प्रकाशन समय पर निकल पाते हैं और न ही समुचित मात्रा में हिन्दी का प्रयोग बढ़ पाता है। जिन सरकारी कर्मचारियों ने हिन्दी, हिन्दी आशुलिपि अथवा हिन्दी टाइपिंग की विभिन्न परीक्षाएँ पास कर ली हैं वे भी हिन्दी में काम करने में संकोच करते हैं। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अभी तक मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों आदि में समुचित हिन्दी स्टाफ की व्यवस्था नहीं हो पाई है। हिन्दी में काम करने का अभी तक अच्छा वातावरण नहीं बन पाया है और प्रायः सभी यही सोचते हैं कि उनके बजाए किसी और को हिन्दी में काम करना है।

इन कठिनाइयों के बावजूद, विविध प्रयासों के परिणामस्वरूप, हिन्दी का प्रयोग दिन पर दिन बढ़ रहा है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि से बराबर यह अनुरोध किया जा रहा है कि वे वार्षिक कार्यक्रमों को पूरा करने का भरसक प्रयास करें। हिन्दी में संर्वाधिक काम करने वाले मंत्रालयों/विभागों का शील्ड देने की व्यस्था की गई है। अंग्रेज़ी के अदिरिक्त हिन्दी में सरकारी काम करने के लिए आशुलिपिकों तथा

टाइपिस्टों को प्रोत्साहन भत्ता देने के आदेश जारी किए गए हैं। हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन से भी कर्मचारियों की झिझक दूर करके उन्हें हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजभाषा विभाग तथा अन्य मंत्रालयों आदि के अधिकारियों और भिन्न-भिन्न कार्यालयों में जाकर वहाँ हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के मामले में अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार हिन्दी में काम करने का वातावरण बनाने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं।

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के संबध में छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 1983-84 की वार्षिक योजना के लिए 8 योजनाएँ :

1. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में यात्रिक साधनों के विकास के लिए यांत्रिक कक्ष की स्थापना, 2. बंबई में एक क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय की स्थापना, 3. संगोष्ठियाँ और प्रतर्शनियाँ, 4. नई दिल्ली में केंद्रीय राजभाषा संस्थान की स्थापना, 5. वर्तमान हिन्दी शिक्षण योजना को सुदृढ़ बनाना-सर्वकार्यभारी अधिकारियों का मानदेय बढ़ाना, 6. अनुसंधान एकक को सुदृढ़ बनाना, 7. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को सुदृढ बनाना - अनुवाद कार्य की क्षमता शक्ति बढ़ाने की योजना और 8. अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार करने से संबंधित ये योजनाएँ योजना आयोग के विचारार्थ भेजी गई। प्रसन्नता की बात है की योजना आयोग ने इन योजनाओं को गुण-अवगुण के आधार पर उसका अनुमोदन कर दिया है। इसके अतिरिक्त हमारी मंजिल अभी कुछ दूर है किंतु हम सशक्त और संतुलित कदमों से उसकी ओर बढ़ रहे हैं। यही आशा है कि हम उस मंजिल तक शीघ्र पहुँच जाएँगे।

करके और अन्य देशों के हिन्दी भाषियों के आँकड़ों का विश्लेषण करके और अन्य देशों के हिन्दी भाषियों के आंकडे जमा करके विश्व की प्रमुख भाषाओं की सूची में हिन्दी का सही स्थान निर्धारित किया हो। अन्य देशों के विद्धानों को ही क्यों दोष दें, जब स्वयं भारत और अन्य 136 देशों में रहने वाले करोड़ों भारतवासियों में से किसी ने भी अब तक इस दिशा में वैज्ञानिक ढंग से शोघ नहीं किया है। विश्व भाषाओं में हिन्दी का सही स्थान तलाशने का काम तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन से ही शुरु कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा।

वाशिंगटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सिडनी कुलबर्ट द्वारा 1970 में जमा किए गए आंकड़ों के अनुसार बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से विश्व की प्रमुख भाषाओं में (चीनी और अंग्रेज़ी के बाद) हिन्दी का तीसरा स्थान था। अमरीका और फ्रांस के कुछ विद्धानों ने (चीनी, अंग्रेज़ी और रूसी के बाद) हिन्दी को स्पेनी के साथ चौथा स्थान दिया है। किंतु मेरी मान्यता है कि विश्व की प्रमुख भाषाओं में (चीनी के बाद) हिन्दी का दूसरा स्थान है। मुझे लगा है कि पश्चिमी विद्धानों ने भारततीय भाषाएँ बोलने वोलों के आंकडों का गहराई से विश्लेषण नहीं किया। मैं अपने उक्त निष्कर्ष पर दो ढंगों से पहुँचा हुँ : पहले, भारत के राज्यों और संघ क्षेत्रों की 1971 की जनसंख्या का विश्लेषण करके, दूसरे विभिन्न भारतीय भाषाओं और बोलियों का व्यवहार करने वालों की संख्या की जांच-पड़ताल करके।

विदेशी विद्धालों ने भारत की जनगणना (1971) के आंकड़ों के आधार पर अपनी तालिकाएँ बनाई हैं, इसलिए पहले यह जाँच करना जरूरी है कि भारत की जनगणना (1971) में हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं के साथ क्या बर्ताव किया गया है?

जनगणना करने वालों ने यह प्रश्न पूछा होता कि क्या मातृभाषा के अलावा आप हिन्दी जानते, बोलते या समझते हैं तो हिन्दी का व्यवहार करने वालों की सही स्थिति सामने आ जाती।

किंतु जनगणना विभाग ने भाषाओ और बोलियों के आंकड़े तैयार करते समय कई विचित्र भारतीय भाषाओं की ही खोज कर डाली है। उदापरम के लीए, जनगणना विभाग द्वारा प्रकाशित आकड़ों के अनुसार 1971 में भारत में 73,947 लोग 'किसान' भाषा, 25,066 लोग 'क्षत्रीय' भाषा, 24624 लोग 'इस्लामी' और 5,111 व्यक्ति 'राजपूती' भाषा बोलते हैं। वास्तव मैं किसान खेती करने वाले को कहते हैं, जबकि क्षत्रीय या राजपूत जातिसूचक शब्द हैं और इस्लाम एक संप्रदाय है। व्यवसाय, जाति या धर्म को मातृभाषा बना देना कैसे उचित कहा जा सकता है? इन आंकड़ों का खोखलापन इससे ज्यादा क्या प्रकट होगा कि राजस्थानी के विभिन्न रूपों - मारवाड़ी, ढूंढारी, मेवाड़ी और हाड़ौती को स्वतंत्र मातृभाषाएँ मानते हूए इनका व्यवहार करने वालों के अलग आंकड़े दिए गए हैं। राजस्थान में सरकारी कामकाज, जनसंचार व्यापार और शिक्षा का माध्यम हिन्दी है, इसलिए इन्हें हिन्दी परिवार में ही शामिल किया जाना चाहिए था। यही व्यवहार ब्रज, अवधी, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, पूर्वी, नगरी और हिन्दुस्तानी के अंतर्गत दिए, गए आंकड़ों के साथ किया जाना चाहिए था। कुछ शहरों के नाम से भी 'भाषाएँ', दे दी गई हैं। जैसे : भगलपुरी, विलासपुरी, नागपुरी, मुजफ्फरपुरी, हजारीबाग और जयपुरी।

इस दोषपूर्ण सूचना या नासमझी का परिणाम यह हुआ है कि 1971 की जनगणना में 54.78 करोड़ से कुछ अधिक भारतीयों में हिन्दीभाषियों की संख्या घटकर केवल 15.37 करोड़ से कुछ ज्यादा रह गई। जबकि उस समय वास्तव में हिन्दी का व्यवहार करने वालों की संख्या ४० करोड़ थी।

हिन्दी को चौथा स्थान देने वाले विद्धान चीनी, अंग्रेज़ी, रूसी और हिन्दी का व्यवहार करने वालों की संख्या क्रमशः 70,30,20 और 16.5 करोड़ मानते हैं। इसी सूची में बिहारी, राजस्थानी, भीली और गोंडी बोलने वालों की संख्या क्रमश : 4 करोड़, 1.5 करोड़, 20 लाख और 15 लाख दी गई है। जिन राज्यो में इन बोलियों का व्यवहार होता है, उनमें राजकाज, जनसंचार, शिक्षा, व्यापार और घर के बाहर संपर्क की भाषा हिन्दी ही है। इसलिए जिस तरह चीनी के विभिन्न रूपों को 'चीनी भाषा परिवार' के अंतर्गत गिना गया है, उसी तरह से इन बोलियों को 'हिन्दी भाषा परिवार' के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। इन बोलियों का व्यवहार करने वोलों की स्ख्या हिन्दी भाषियों की ऊपर दी गई संख्या (16.5 करोड़) में शामिल होने से योग रूसी भाषियों की संख्या (20 करोड़) और गुजराती बोलने वालों की संख्याओं का योग 16.5 करोड़ है। इन भाषाओं का इस्तामाल करने वाले भी हिन्दी फिल्मों, हिन्दी प्रसारणों, हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकों से आसानी से लाभ उठाते हैं। दूसरे शब्दों में इनके दैनिक व्यवहार में हिन्दी की पैठ है। यदि इन्हें हिन्दी परिवार में शामिल कर लिया जाए, तो योग अंग्रेज़ी का व्यवहार करने वालों (30 करोड़) से 8.95 करोड अधिक पहुँच जाता है। इन क्षेत्रों में हिन्दी क्षेत्रों के लोग भी काफी संख्या में बसे हुए हैं। इसलिए यदि पूरी तरह इन्हें शामिल करने में हिचकिचाहट हो तो इनके आधे (8.3 करोड़) लोगों को भी हिन्दी जानने समझने वालों की सूची में रख लिया जाए तब भी योग अंग्रेज़ी भाषियों से आगे चला जाता है।

अब हम राज्यों की दृष्टि से विचार करते हैं। हिमाचल प्रदेघ, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और बिहार की 1971 में संयुक्त जनसंख्या 22.99 करोड़ से कुछ अधिक थी। यह संख्या भी हिन्दी-भाषियों की संख्या 16.5 करोड़ मानने के मार्ग में बाधा है। जम्मू-कश्मीर, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, गोआ, दमन व दीव तथा अंडान व निकोबार द्वीप समूह में कुल जनसंख्या 9.61 करोड़ से कुछ अधिक थी। इन क्षेत्रो में हिन्दी से अपरिचित शायद ही कोई हो, यदि हिन्दी का व्यवहार करने वालों में इनकी संख्या मिला दें तो योग 32.60 करोड़ हो जाता है। भारत की 1971 की जनसंख्या (54.79 करोड़ से कुछ अधिक) में यह संख्या घटाने पर 22.19 करोड़ का आंकड़ा बचता है। ये लोग 15 राज्यों और संघ श्रेत्रों में बिखरे हुए थे। जिनके नाम इस प्रकार हैं : 1. मिजोरम, 2. मणिपुर, 3. नागलैड़, 4. अरुणाचल, 5. असम, 6. मेघालय, 7. त्रिपुरा, 8. पश्चिमी बंगाल, 9. ओड़िशा, 10. तमिलनाडु, 11. पांडिचेरी, 12. लक्ष द्वीप व मिनिकोय द्वीप समूह, 13. केरल, 14. कर्नाटक और 15. आंध्रप्रदेश। इनमें से एक तिहाई लो भी हिन्दी बोलने व समझने वाले माने जाएँ तो भारत में ही हिन्दी बोलने वालों की संख्या 40 करोड़ हो जाती है। ओड़िशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आध्रप्रदेश और पश्चिमी बंगाल में हिन्दी क्षेत्रों के काफी लोग बसे हुए हैं। यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए। इस तरह हिन्दी का व्यवहार करने वालों की संख्या 1971 में रूसी का व्यवहार करने वालों से दुगुनी और अंग्रेज़ी का उपयोग करने वालों से सवा गुनी मानी जा सकती है।

पश्चिमी विद्धानों ने चीनी भाषा का मुख्य क्षेत्र चीन, अंग्रेज़ी का अमरीका, कनाड़ा, इंग्लैंड, आयलैंड, आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड रूसी का सोवियत संघ तथा हिन्दी का केवल भारत माना है। 15 जुलाई 1980 के आंकड़ों के अनुसार एक करोड़ 10 लाख भारतीय 136 देशों में बिखरे हुए थे। इनमें नेपाल, श्रीलंका, मलयेशिया और मारिशस में भारतवंशियों का विशेष जमाव था। उदाहरण के लिए केवल नेपाल में ही 38 लाख भारतीय बसे हुए थे। इसलिए हिन्दी जानने वालों की सही संख्या निर्धारित करते समय इन देशों को भूल जाना ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार पाकिस्तान और बगला देश में उर्दू तथा बंगला राजभाषाएँ होने के बावजूद हिन्दी या हिन्दुस्तानी आम तौर पर समझी जानी वाली विदेशी भाषा है। यदि अंग्रेज़ी के प्रभाव क्षेत्र में ऊपर दिए गए देशों के अलावा अँग्रेज़ों के भूतपूर्व उपनिवेशों के दो प्रतिशत अंग्रेजी बोलने या समझने वालों को भी जोड़ लिया जाए तब भी अंग्रेज़ी का व्यवहार करने वालों की संख्या हिन्दी जानने-समझने वालों की तुलना में कम ही रहेगी। हम लोग स्टेट्समैन इयरबुक के 119 वें स्करण (1982-83) को आधार माने तब पा चला है कि अंग्रेज़ी के मूल क्षेत्र माने जाने वाले देशों अमरीका (1980 की जनसंख्या 22.65), ग्रेट-ब्रिटेन (1981 की जनसंख्या 5.593 करोड़), कनाडा (1981 की जनसंख्या 2.42 करोड़), आस्ट्रेलिया (1980 की जनसंख्या 1.462 करोड़), आयरलैंड (1979 की जनसंख्या 33.7 लाख) और न्यूज़ीलैड (1981 की जनसंख्या 32 लाख) की संयुक्त जनसंख्या 1981 के आसपास 32.782 करोड़ थी। जबकि इसी वर्ष भारत की जनसंख्या 68.39 करोड़ थी। भारत के लगभग 70 प्रतिशत लोग राजकाज, जनसंचार, शिक्षा, व्यापार या घर के बाहर संपर्क के लिए हिन्दी का प्रयोग करते है। यह मानने पर हिन्दी का व्यवहार करने वालों की संख्या 47.87 करोड़ बन जाती है। जो विश्व भर में अंग्रेज़ी के गढ़ देशों की कुल जनसंख्या के लगभग डेढ़ गुना के बराबर है। यदि भारत में आधे लोगों को भी हिन्दी व्यवहार करने वालों में गिना जाए तब भी अंग्रेज़ी की तुलना में हिन्दी का ही पलड़ा भारी पड़ता है और हिन्दी विश्व की दूसरी प्रमुख भाषा बन जाती है।

(1983 के त्रिदीय विश्व हिन्दी सम्मेलन पत्रिका से साभार)

ये भी शोधपत्रिका के आजीवन सदस्य बने (89)

आशाराणी बी.पी.

एम.ए. (हिंन्दी), बी.एड., एम.फिल. SET (Kerala State Eligibility Test) पास किया। श्री. सुरेशबाबु की पत्नी। अब केरल विश्वविद्यालय के अधीन शोधकार्य (पि.एच.डी.) कर रही है। शोध विषय : "हिंन्दी साहित्य के विकास मैं हिंन्दी के प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाओं का योगदान"। एम.जी. कॉलज के हिंन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. के. मणिकणठन नायर शोध निर्देशक.

पता : साकेतम, आलन्तरा, वेन्जारमूड पी.ओ., तिरुवनन्तपुरम.

हिन्दी और हम

मनोहर धरफले

भारत को आजादी मिले साठ वर्ष हो गए। लेकिन शासकीय व्यवहार में राजभाषा हिन्दी के सौ प्रतिशत प्रयोग पर अभी भी प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है। कुछ अंगरेजीदां विद्वानों का आश्रेप हे कि हिन्दी की स्तुति करने वाले हिन्दी प्रेमी और राजभाषा वाले अंगरेजी के रुटीन विरोध में संकीर्ण दृष्टिकोण और अव्यावहारिक आतर्शवादिता अपनाते हैं। यह बात समझ में नहीं आती। व्यक्तिगत व्यवहार में अंगरेजी का प्रयोग किए जाने पर राजभाषा अधिनियम या शासन की ओर से कोई रोकटोक नहीं है। आम जनता द्वारा भी बोलचाल या व्यवहार में अंगरेज़ी के प्रयोग पर गोई आपति नहीं जताई जाती। यदि आम जनता अपने व्यवहार में अंगरेज़ी का ही प्रयोग करेगी और हिन्दी का प्रयोग नहीं करेगी तो शासन की ओर से उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा। जनता अपनी बोलचाल, अपने व्यवहार में चाहे अंगरेजी का प्रयोग करे, चाहे हिन्दी का या हिन्दी-अंगरेजी खिचड़ी भाषा का प्रयोग करे। शासन का राजभाषा अधिनियम को कोई आक्षेप नहीं है। हां! यह अपेक्षा अवश्य है कि शासकीय कार्यालयों में समस्त कामकाज हिन्दी में हों, अर्थात् 'क' क्षेत्र में। 'ख' और 'ग' क्षेत्र में भी निर्धारित प्रतिशत के अनुसार हिन्दी का प्रयोग होता रहे। शासन द्वारा जनता के साथ और जनता द्वारा शासन के साथ पत्राचार और व्यवहार हिन्दी में होता रहे तभी राजभाषा शब्द की सार्थकता है। अपने देश में हम अपनी भाषा मे आपस में, अपनी सरकार के साथ पत्राचार या व्यवहार करें, इसमें कैसी संकीर्णता? यह स्वाभाविक भी है और उचित भी। तभी देश का हर आम नागरिक सरकार से अपनी बात कह सकेगा और सरकार की वात को, नीति-नियमों को समझ सकेगा। चाहे वह अंगरेज़ी का जनकार हो या नहीं। उसे हिन्दी लिखना-पढ़ना न भी आता हो तो भी हिन्दी में की गई बालचाल से मसला हल किया जा सकता है। इसे अव्यवहारिक आदर्शवातिता कैसे कहा जा सकता है?

भारतीय संविधान के अनुसार हमें अपने राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगीत को उचित सम्मान देना चाहिए। उसी सम्मान की अधिकारिणी हमारी राजभाषा हिन्दी भी है। जहां तक संविधान में अंगरेजी के प्रयोग का प्रावधान है वह तो इसलिए किया गया कि तीन सौ वर्ष की अंगरेजों की गुलामी ने अंगरेज़ी की तुलना में अन्य भारतीय भाषाओं को ऊपर उठने ही नहीं दिया। अंगरेज़ चूकि केवल अपनी भाषा अंगरेज़ी में बोलचाल और व्यवहार कर सकते थे, उन्होंने शासन की भाषा के रूप में अंगरेज़ी को स्थान दिया। शासन तंत्र उनके हाथ में होने से वहां का आम आदमी/नागरिक जिसे शासन से किसी प्रकार की अपेक्षा होती थी मजबूरन अंगरेज़ी सीखा रहा। अंगरेज़ी का जानकार न होने पर उसकी उपेक्षा होती थी। धीरे-धीरे पूरा शासन तंत्र अंगरेज़ीमय हो गया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के साठ वर्ष बाद भी अंगरेज़ी का वर्चस्व बना रहने दें।

प्रश्न राजभाषा शब्द के अर्थ का है। राजकीय कार्यकलाप हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। परंतु, चूंकि एक लम्बे समय तक शासन का कार्यकलाप अंगरेज़ी में होता रहा, हम अंगरेज़ी के आदी हो गए। शासन तंत्र में आंगरेज़ी पूर्वाचार चली आ रही थी, अतः हिन्दी की तुलना में अंगरेजी हमें सरल लगती रही। ऐसी स्थिति में आनन-फानन में अंगरेजी को हटा देना अव्यावहारिक था। अतः अंगरेज़ी चलती रहीं। यहां तक कि संविधान में यह व्यवस्था की गई कि सन् 1965 तक अंगरेज़ी संघ की राजभाषा बनी रहेगी। फिर हिन्दी इसका स्थान लेगी। लेकिन बाद में भी अंगरेज़ी का वर्चस्व बना रहा। क्योंकि शासन तंत्र के लिए यह आवश्यक हो गया था कि शासकीय कामकाज के लिए अंगरेज़ी शब्दों के स्थान पर हिन्दी के उपयुक्त शब्दों की शब्दावली तैयार कर लें। ताकि देश भर के भाषा-भाषियों के लिए एक सर्वमान्य भाषा के माध्यम से शासकीय कार्य करने-करवाने में सुविधा हो। एकरूपता हो। ऐसी हिन्दी शब्दावली तैयार करने में लगने वाला अत्यधिक समय ही एकमेव कारण बना रहा कि तब तक हिन्दी के साथ-साथ अंगरेज़ी का प्रयोग भी चलता रहे। संयुक्तिक और प्रयोगिक दृष्टिकोण से वह उचित भी था।

किंतु अब ऐसी शब्दावली तैयार कर ली गई है, जिसमें भूगोल, ख्रगोल, भौतिक व रसायन शास्त्र, जीव-विज्ञान, चिकित्सा, गणित आदि तथा अन्य सभी प्रकार के तंत्र ज्ञान के लिए, उसके आकलन के लिए शब्द उपलब्ध हैं। यहां यह कहा जाने लगा कि हिन्दी के शब्द अतिव्याकरणिक, क्लिष्ट, संस्कृत प्रचुर है और उच्चारण के लिए कठिन भी है। इनका सहज प्रयोग संभव नहीं है। ओछी मानसिकता रखने वाले कुछ लोग हिंन्दी का उपहास करने के उद्देश्य से कतिपय अंगरेज़ी शब्दों के स्थान पर हिन्दी के क्लिष्ट शब्दों का जानबूझकर प्रयोग करते हुए अनुवाद कर लेते हैं और स्वयं को गोरवान्वित अनुभव करते हैं। जैसे रेलवे के सिग्नल का हिन्दी में अनुवाद वे इस प्रकार से करते हैं-अग्निरथ/वाष्पचलित रथ/विद्युतचलित रथ/वाहन गमनागमन सूचक हरित-रक्त रंग युक्त पट्टिका। या सिगरेट का हिन्दी अनुवाद श्वेतपत्रवोष्टित तम्बाकूयुक्त

धूम्रपान नलिका। ऐसा करते हुए वे अपनी बालसुलभ अज्ञानता का परिचय भी देते हैं। क्योंकि वे अनजान ही बने रहते हैं। क्योंकि वे जानते ही नहीं हैं कि बोलचाल और व्यवहार में गत हज़ारों वर्षों से प्रचलित हज़ारों शब्द जो अनेक देशी-विदेशी भाषाओं के हैं, हिन्दी ने आत्मसात कर लिए हैं। हिन्दी में सभी भारतीय भाषाओं के शब्द तो हैं ही अपितु फारसी, अरबी, तुर्की, पश्तो, पुर्तगाली, अंगरेज़ी आदि विदेशी भाषाओं के हज़ारों शब्द और फ्रेंच, डच, स्पेनिश, जर्मन और जापानी भाषाओं के कुछ शब्द भी हैं। जो पूर्णत: हिंदीमय हो गए हैं। **हिन्दी के शब्द-भंडार के इस रूप को देखने के बाद पता लगता है कि सचमुच हिन्दी भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्दों को पचाकार उन्हें अपना बना लेने का कितना बड़ा गुण है। इसका सम्पूर्ण श्रेय हमारी देवनागरी लिपि को जाता है। जिसके अक्षरों, मात्राओं की रचना मानवीय शरीर में स्थित स्वरयंत्र के आधार पर की गई। यदि उच्चारण स्पष्ट और संथ गति से किया जाए तो विश्व की किसी भी भाषा के शब्दों/वाक्यों को देवनागरी में लिपिबद्ध किया जा सकता है।** अंगरेज़ी शब्द Thyroid Gland लें। जिसका उच्चारण थॉयरॉयड ग्लैण्ड किया जाता है। इसमें हिन्दी के थ, आ, य, र, इ, ड, ग्, ल, ण्, ऐ, ड अर्थात देवनागरी लिपि के अक्षर हैं। यह भी कहा जाता है कि हिन्दी शब्दों का उच्चारण क्लिष्ट और कठिन है। यह सोच भी सरासर गलत है। प्रश्न शब्दों के प्रयोग का है। जिस प्रकार अंगरेज़ी के क्लिष्ट शब्द बार-बार प्रयोग के कारण आसान लगने लगे, उसी प्रकार हिन्दी के क्लिष्ट शब्द भी बार-बार प्रयोग के बाद आसान लगने लगते हैं। उदाहरणार्थ: वोरोशिलोव्ह एक्यूप्रेशर, एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर, कलेक्टर, सेक्रेटेरिएट आदि शब्द बार-बार उच्चारण के कारण आसानी से बोले जाते हैं उसी प्रकार हिन्दी के क्लिष्ट शब्द जैसे उच्चायुक्त, ध्वनिप्रक्षेपण, कार्यान्वित, अन्वयार्थ, समायोचित आदि भी बार-बार प्रयोग के बाद आसान लगने लगेंगे। अनपढ़, अंगूठा छाप व्यक्ति उपरोक्त और उन जैसे अन्य अंगरेज़ी शब्दों को बार-बार सुनकर बोलने, समझने लगता है उसी प्रकार यदी हिन्दी क्लिष्ट शब्दों का भी बोलचाल में बार-बार प्रयोग होता रहेगा तो वे भी आसानी से प्रचलन में आ सकते हैं। जिस प्रकार हमने अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द हिन्दी के लिए अपना लिए उसी प्रकार अंगरेज़ी ने भी हिन्दी के कई शब्द अपना लिए है। जैसे लूट, कच्चा-पक्का आदि। लेकिन व्यवहार में अब कोई भी भाषा सौ प्रतिशत उसी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए बोलना संभव नहीं रहा है। हिन्दी की तरह अन्य भाषाओं में भी अन्य भाषाओं के शब्द घुल मिल गए हैं। लेकिन बोलने या लिखने का लहजा तो भाषा के अनुरुप रखा जा सकता है। किंतु हमारी युवा पीढ़ी 'कम ना यार', 'सिट ना यार' जैसी हिंगलिश भाषा का ही प्रयोग करने लगी है, जो अटपटा लगता है। युवा ही क्यों प्रौढ़ व्यक्ति भी इसके आदी हैं। भाषण की शुरुआत लेडीज़ एणड जेन्टलमेन से की जाती है। बाकी पूरा भाषण हिन्दी में या हिन्दी-अंग्रेज़ी की खिचड़ी भाषा में किया जाता है। फोन पर बात शुरु करते समय "हैलो", कार्यालयों में 'सर' का प्रयोग होता ही है। उसी प्रकार अंग्रेज़ी बोलते समय अटक गए तो मतलब, और या ऐसे ही अन्य हिन्दी शब्दों का प्रयोग होने लगता है। इसीलिए यह नियम बनाया गया है कि शासन के और शासन के साथ व्यवहार हिन्दी में हो। अन्यत्र किसी भी भाषा का प्रयोग करते रहें।

प्रश्न मानसिकता का है। अपनी भाषा पर प्रेम करना गर्व करना आवश्यक है। यदि उच्चशिक्षा का तात्पर्य केवल विदेशों में अध्ययन करने से है तो बेशक अंग्रेज़ी अनिवार्य है। लेकिन यह भी सही है कि अंग्रेज़ो के भारत में ईस्ट इंड़िया कम्पनी के रूप में आने के पहले चीनी, जापानी विद्यार्थी और दार्शनिक नालन्दा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत आते थे। तब अंग्रेज़ी कहां थी? संस्कृत भाषा का ही सर्वत्र बोलबाला था। सहभाषा के रूप में हिन्दी का ही प्रयोग होता था। वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद ही यदि हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता तो अब तक वैसी ही मानसिकता बन जाती। भले ही बार-बार अंग्रेज़ी का सहारा लेना पड़ता। लेकिन हिन्दी में कार्य करने के प्रति आस्था भी बन जाती। क्योंकि अंग्रेज़ी की तरह हिन्दी सीखनी नहीं पड़ती। वह तो भारत में पहले से ही विद्यमान थी।

दक्षिण के प्राचार्यों ने हिन्दी के आदिकाल से ही अनुभव किया था कि इस भाषा के माध्यम से वे सारे देश के जन-जन तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। वल्लभाचार्य, विट्ठल, रामानुज, रामानंद, आदि महापुरुषों ने हिन्दी के महत्व को समझ लिया था और वे उसे प्रयोग में लाते रहे। केरल के तिरुवितांकुर के राजा स्वाति तिरुनाल, श्रीराम वर्मा (जन्म 1813 ईसवी) ने और इनके पूर्व तंजावुर के भोसले वंशीय शाहूजी महाराज (शासनकाल 1684 से 1713) ने हिन्दी में गीत रचना की। महाराष्ट्र के संत देवराज महाराज (1654 से 1721) ने विदर्भ में हिन्दी के माध्यम से भक्तिपूर्ण पद रचे। अट्ठारहवीं शताब्दी में पेशवा, सिन्धिया तथा होलकर आदि मराठी घराने हिन्दी में ही अपना राजकार्य करते थे। महाराष्ट्र के मानदेव और ज्ञानेश्वर, गुजरात के नरसी मेहता, राजस्थान के दादू और रज्जब, पंजाब के नानक देव आदि सिख्गुरु, असम के शंकरदेव, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु और उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के सूफी-संतों ने हिन्दी को ही अपने धर्म, सांस्कृतिक प्रचार और साहित्य का माध्यम बनाया था।

मुस्लिम शासनकाल में भी हिन्दी राष्ट्रभाषा के रुप में सर्वमान्य थी। सिक्कों पर सूचना हिन्दी में रहती थी। शाही फरमानों में भी हिन्दी का ही प्रयोग होता था। ब्लाखमैन ने अपनी खोज के आधार पर कलकत्ता रिव्यू 1871 में लिखा था कि मुगल बादशाहों को शासनकाल में ही नहीं, इसके पूर्व भी सभी सरकारी कागजात हिन्दी में ही रखे जाते थे। साहित्य और शिक्षा का माध्यम भी व्यापक और सार्वदेशिक रूप से हिन्दी ही था। इतना ही नहीं, ईस्ट इंडिया कम्पनी के सिक्के और आदेश हिन्दी में छपते थे। मद्रास के लेफ्टिनेंट टॉमस रोबक (1807 ईसवी) ने हिन्दी (हिन्दुस्तानी) को हिंन्दुस्तान की महाभाषा कहा है।

इतनी पावन एवं उज्ज्वल परम्परा रखने वाली हमारी भाषा, राजभाषा हिन्दी को अन्तर्मन से स्वीकार कर अपने सभी कार्यो में उसका पूर्णरुपेण प्रयोग करना ही हमारे पाष्ट्रप्रेम का द्योतक होगा। किंतु अधिकांशतः सुशिक्षित भारतीय जनमानस द्वारा हिन्दी को अपेक्षित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। अपने देश में हो अपनी भाषा लज्जित हो रही है।

हम क्या करें? हम तो बस सितंबर माह को राजभाषा मास के रुप में मनाकर अपना हिन्दी प्रेम जता देते हैं। हिन्दी में सांस्कृतिक गतिविधियां करवा दी, हिन्दी के साहित्यकारों को मुख्य अतिथि के पद पर विभूषित कराकर सम्मानित कर दिया। बस! यही है हमारा हिन्दी प्रेम! अक्टूबर माह से सब कुछ पूर्ववत/यथावत/अंग्रेज़ीमय हो जाता है। क्योंकि त्यौहार तो साल भर में एक ही बार मनाया जाता है ना! पूरे साल भर तो नहीं मनाया जाता। हम भी राजभाषा मास नामक त्यौहार ही तो मनाते है। मगरमच्छी आँसू बहाकर सितम्बर माह बिता देते हैं और चल पड़ते हैं फिर से अंग्रेज़ी की बैसाखी पर। आदत जो पड़ी है बैसाखी पर चलने की। फिर अपने पैरों पर वजन क्यों डालें।

राजधानी दिल्ली में 1994 में सितम्बर माह में ही राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच द्वारा एक व्यक्ति की हिन्दी में लिखी शिकायत यह कहकर वापस कर दी गई थी कि उसका अंग्रेज़ी अनुवाद भेजा जाए, तभी उस पर सुनवाई की जा सकेगी। शासकीय अधिकारियों का यह रवैया, वह भी राजभाषा मास में। यह प्रेम है हमारा अपनी राजभाषा के प्रति। मॉरीशस जैसे देश में विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं लेकिन हमारे अपने देश में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं को माध्यम रखवाने के लिए आन्दोलन करना पड़ा है। सत्याग्रह का सहारा लेना पड़ा है। भाषा के इन सत्याग्रहियों को हथकड़ियों भी पहननी पड़ी हैं। इसके विपरीत भारत भ्रमण करने आने वाले विदेशी यात्री भारत के इतिहास को जानने-समझने के लिए भारतीय संस्कृत, हिन्दी, मराठी और अन्य भाषाओं में लिखे गए ग्रंथों को पढ़ने के लिए उन भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं और भारत में पढ़े लिखे, सुशिक्षित कहलाने वाले लोग अपनी भाषाओं को, मातृभाषाओं को उचित सम्मान नहीं दे रहे हैं। **अंग्रेज़ी की बैसाखी पर चलने वाले ये लोग यदि विदेशों में जाकर देखें तो उन्हें घोर आश्चर्य होगा कि वहां के नागरिक अपने देश की भाषा के प्रति कितना प्रेम, कितना आदर, कितनी आस्था रखते हैं।** मैं स्वयं बैंकॉक (थाईलैंड) सिंगापुर, इजिप्त और सियोल (साउथ कोरिया) का भ्रमण कर चुका हूँ और पग-पग पर वहां के नागरिकों का अपनी भाषा के प्रति अथाह प्रेम अनुभव कर चुका हूँ। उसी प्रकार चीन, जापान, जर्मन में भी अंग्रेज़ी की तुलना में वहां की राष्ट्रभाषा का ही वर्चस्व है।

ब्रिटेन की गुलामी से मुक्त हुए आधी दुनिया के देश अपनी भाषा को विकसित करने में लगे हैं। लेकिन हम भारतीय अंग्रेज़ी की बैसाखी पर चलते हुए भी अपने आप को अपंग महसूस नहीं करते। इज़राईल दुनिया के नक्शे पर एक बिन्दु समान छोटा सा देश, अपनी मृतप्राय हिब्रू भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासरत है और हमारे शासकीय एवं अन्य कार्यालयों में प्रयोग होने वाले रजिस्टरों, फाईलों, खाताबहियों में अंग्रेज़ी-अंग्रेज़ी ही प्रस्फुटित होती रहती है। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं की पाठशालाएं सिमटती जा रही हैं। लगभग नेस्तनाबूद हो चुकी हैं। पहली कक्षा से ही अंग्रेज़ी अनिवार्य कर दी गई है। कुकुरमुत्ते की तरह तथाकथित कॉन्वेन्ट स्कूल, अंग्रेज़ी माध्यम वाले स्कूल खुल रहे हैं, मेंढ़क की तरह टर्रा रहे हैं। शिक्षकों को अंग्रेज़ी सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक दिन, एक सप्ताह, एक माह में अंग्रेजी बोलना, लिखना, सिखाने वाली कक्षाएं, पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मोटी रकम फीस के रुप में वसूली जा रही है और लोग दे रहे हैं। भले ही खिचड़ी अंग्रेज़ी और खिचड़ी हिन्दी पनपती रहे। मंत्रालय से नगरपालिका तक अंग्रेज़ी का बोलबाला है। कार्यालयों में हिन्दी में लिखे गए पत्रों के प्रारुप, प्रस्ताव, टिप्पणियां अधिकारियों की समझ में नहीं आती। उन पर अनुमति, स्वीकृति देने के लिए उनके अंग्रेज़ी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। तब तक उन्हें लम्बित ही रखना पड़ता है। **वास्तव में भारत का सुशिक्षित समाज अभी भी गुलामी की भावना से ग्रसित है। उसकी वही मानसिकता उसे विदेशी भाषा अंग्रेज़ी का वर्चस्व स्वीकार करने के लिए बाध्य करती है।** हिन्दी की कहीं-कहीं प्रत्यक्ष और कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उपेक्षा या अवहेलना करने में ही उन्हें गौरव का अनुभव होता है।

अधिकारी बनना हो, पदोन्नति पाना हो, रौब जमाना हो,

जेन्टलमेन कहलाना हो, वी.आई.पी. कहलाना हो या सेलेब्रिटी बनना हो तो अंग्रेज़ी इज ए मस्ट। इनकी रीढ़ की हड्डी में जो जोड़ हैं वे सब अंग्रेज़ी के हैं। यदि उनमें से एक भी इधर-उधर खिसक जाए तो वे लड़खड़ा जाएंगे।

आजादी के साठ वर्ष बाद भी अंग्रेज़ी भाषा बोलकर, अंग्रेज़ों की तरह नाच गाकर, जन्म दिन पर केक काटकर, हाय.... हैलो....गुडमॉर्निंग, गुड नाइट आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए आम भारतीय तथा कथित उच्चवर्ग समाज को गर्व का अनुभव होता है।

अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी भाषा बखूबी इस्तामाल अपनी साम्राज्यशाही को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए किया। लेकिन देशभक्ति का दावा करते हुए राजभाषा हिन्दी के लिए केवल शोर किया जा रहा है। कम से कम पांचवीं कक्षा तक तो देश भर में अपनी-अपनी मातृभाषाएं सीखने-सिखाने पर बल दिया जाना चाहिए। उसके बाद विद्यार्थी को पूरी स्वतंत्रता दी जाए कि वह अपने मनपसंद भाषा को अपने अध्ययन और अभ्यास का माध्यम बनाएं। लेकिन देश के करोड़ों मेहनतकशो की पहुंच के बाहर रहने वाली इस अंग्रेज़ी भाषा को ही अपना हितसाधक मानने वाली केवल दो प्रतिशत जनता ही इस देश को चला रही है। औद्योगिक और सामाजिक परिप्रेक्ष में आज भी अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में पब्लिक स्कूलों में पढ़े लड़के, लड़कियों को ही वरीयता दी जाती है जबकि इन स्कूलों में केवल सुसम्पन्न परिवारों के बच्चे ही शिक्षा पा सकते हैं।

देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो ट्रेन की लाईन डाली जा रही है। उसके सूचना पटल सड़कों के किनारे लगे हुए हैं। मीटरों दूर तक फैले हैं। सबके सब अंग्रेज़ी में पुते हुए हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर चारों ओर अंग्रेज़ी की पटल लगे हुए थे जिनके चित्र समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए थे।

यदि अंग्रेजी लिपि के 26 (छब्बीस) अक्षरों को घुमाफिराकर, जिनका कोई क्रम निश्चित नहीं है, ध्वनि का विशिष्ट क्रम निश्चित नहीं है, फिर भी शब्दों के ऊटपटांग स्पेलिंग बनाकर जिनमें कई अक्षर अनुच्चारित रहते हैं तो कई अक्षर अनेक उच्चारणों के लिए वहीं रहते हैं तथा कहीं एक ही अक्षर विविध उच्चारण को दर्शाता है- ऐसी स्थिति में नए-नए शब्द बनाए जाते है तो क्या हिन्दी की देवनागरी लिपि में अंग्रेज़ी की तुलना में दुगने अक्षर होते हुए भी नए-नए शब्द नहीं बनाए जा सकते? बनाए जा सकते हैं। आवश्यकता है दृढ़ निश्चय और परिश्रम की।

आज पूंजीपति वर्ग समाज और राजसत्ता पर हावी है जो अंग्रेज़ी का ही पक्षपाती है। सामान्य श्रेणी के समाज को राजसत्ता में और समाज में प्रमुख भूमिका अदा करने में सहायक होना आज की आवश्यकता है। इसके लिए हिन्दी का वर्चस्व होना भी अनिवार्य है। जनभाषा, राजभाषा हिन्दी का न केवल प्राबल्य और प्रयोग बल्कि प्रचार-प्रसार भी अनिवार्य रूप से हो। अंग्रेज़ी केवल द्वयम (दूसरी) भाषा के रूप में स्वीकार की जाए। हर उस पत्र लेखन, आदेश, नियम और कानून को नकारा जाए जो केवल अंग्रेजी में हो। या तो हिन्दी या द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेज़ी) होने पर ही उस पर अमल किया जाए। शासकीय, अर्द्ध शासकीय कार्यालय (राज्य व केन्द्र स्तर के सभी) बैंक, बीमा कम्पनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सामाजिक संस्थाएं हर जगह समस्त कार्य केवल हिन्दी में अथवा द्विभाषा/त्रिभाषा फार्मूला के अन्तर्गत ही हो। ऐसा वातावरण बनना अनिवार्य है। अब तो संगणकों में भी हिन्दी का प्रयोग आसान हो गया है। जनता और शासन के बीच का व्यवहार भी केवल हिन्दी या द्विभाषी हो। केवल अंग्रेज़ी कदापि न हो। तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र कहलाने के अधिकारी हैं।

भाषा का मामला मात्र औपचारिकता नहीं है। भाषा का संबंध हमारी संवेदना और सोचने के ढ़ग से जुड़ा है। उसमें हमारी आत्मा का संगीत होता है। राजभाषा का विचार करते समय भाषा का प्रश्न भावना तक सीमित नहीं रहा है। बल्कि उसकी उपयोगिता, महत्व और कार्य साधकता को भी दृष्टिगत रखना होगा। राजभाषा अधिनियम में आलंकारिक एवं अदि व्याकरणिक शब्दों के प्रयोग पर कोई जोर नहीं दिया गया है। सरल एवं सहज उच्चार हो सकने वाले शब्दों को प्राधान्य दिया गया है, जो मानक शब्दों के रूप में प्रसारित किए गए हैं। ताकि शासन और सामान्य जनता के बीच सहज और सुलभ वार्तालाप और व्यवहार हो सके। जिस प्रकार देश की अन्य भाषाओं के साथ हिन्दी का कोई बैर नहीं है उसी प्रकार अंग्रेजी से भी कोई बैर नहीं है। प्रश्न हिन्दी के वर्चस्व का है।

कर्नाटक में 15 अगस्त, 1994 से प्रशासन में अंग्रेज़ी का प्रयोग बन्द कर दिया गया है। जब कि वह 'ग' क्षेत्र में है। तो फिर 'क' और 'ख' क्षेत्र में भी ऐसा किया ही जा सकता है। प्रशासन के कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग बन्द कर दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहकर वैसी मानसिकता बनाना अति आवश्यक हैं यदि साठ वर्ष बीत जाने पर भी हम भाषाई गुलामी से स्वतंत्र नहीं हो सके तो कब तक हम अंग्रेज़ी का वर्चस्व सहन करते रहेंगे।

अज्ञान के वशीभूत मनुष्य कई बार कई गलत धारणाएं बना लेता है। ऐसी ही एक धारणा अंग्रेज़ी भाषा के संबंध में

संत विनोबा भावे और नागरी लिपि (कार्यक्रम विवरण)

कौसल्या अम्माल

भारत की ऋषि परंपरा की आख़िरी कडी "आचार्य विनोबा बावे और नागरी लिपि संज्ञक" विषय पर 16-1-2010 दोपहर 2.30 बजे केरल हिन्दी साहित्य अकादमी में संपन्न सेमिनार का उद्घाटन गाँधी स्मारक निधि चेयरमान श्री. पी.गोपिनाथन नायर जी ने किया। अपने अति विशद उद्घाटन भाषण में उन्होंने बताया कि बाबा ने नागरी लिपि का प्रयोग भारत की एकता को बनाये रखने का महती उपाय माना है। उन्होंने समझाया था कि अनेक भाषाओं से संपन्न भारत को एक लिपि की ज़रूरत है जिससे कशमीर से लेकर कन्याकुमारी तक के भावों और विचारों में एकरूपता अथवा एकात्मकता को कायम रखा जा सके। यह एक सुंदर कल्पना है कि भारत की प्रत्येक भाषा को नागरी लिपि द्वारा अभिव्यक्ति दी जा सकती है। यह लिपि सवाँग सुंदर है और वैज्ञानिक भी। बाबा का संकल्प था कि नागरी लिपि विश्व लिपि बन सकेगी।

आचार्य विनोबा भावे के साथ रहने और उनके विचारों से अभिभूत होने का मुझे निरंतर सौभाग्य हुआ था। गाँधी स्मारक निधि के देशीय अध्यक्ष के रूप में रहते हुए मुझे बाबा के विचारों एवं आदर्शों के अनुवर्तन करना पडा था। वे अपने बचपन से ही चिंताशील एवं धार्मिक स्वभाव के रहे थे। काशी में जब बाबा ने गाँधीजी का भाषण सुना था तभी अपने जीवन के स्वरूप को उन्होंने निर्धारित किया था। वे पवनार में गाँधीजी से मिले और उनके नितांत अनुयायी बन गए।

अध्यक्ष भाषण में डा. चन्द्रशेखरन नायर जी ने कहा कि यह

.....हिन्दी और हम

बनी हुई है। अंग्रेज़ों ने विश्व के अधिकांश भू भाग पर राज्य किया था, इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि उनकी भाषा अंग्रेज़ी विश्वभाषा कहलाए। हां! अंग्रेज़ी भाषा में सभी तरह का वैज्ञानिक, ख़गोलीय, भूगर्भीय और अन्य विधि विषयों का ज्ञान और साहित्य बहुतायत में उपलब्ध है यह बात सही है। किंतु वास्तविकता यह है कि इस पृथ्वी पर ऐसे भी देश हैं जहां अंग्रेज़ी बिलकुल ही नही चलती। **स्वयं ब्रिटेन का अंग समझे जाने वाले वेल्स में पिछले वर्षों से चल रहे मातृभाषाओं की पुनर्प्रतिष्ठा और नवजागरण के आन्दोलन से पता चलता है कि जिस प्रकार अंग्रेज़ी को श्रेष्ठ और विश्वस्तरीय भाषा मानने वाले लोग दुनिया भर में फैले हुए है उसी तरह अंग्रेजी को नकारने वाले लोगों की भी कमी नही है। फ्रांस, रशिया, जर्मन, पुर्तगाल, तुर्क जैसे कई भूभागों में अंग्रेज़ी का कोई मोह नहीं हैं।** ब्रिटिश द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप के पश्चिम में आठ हज़ार वर्गमील क्षेत्र में बसने वाले सात लाख से अधिक वेल्स वासी अपने क्षेत्र पर अंग्रेजी के लगभग पांच सौ साल पुराने औपनिवेशिक दबदबे के बावजूद अपने स्वतंत्र राष्ट्रीय अस्तित्व की आकांक्षा और उसे प्रेरित करने वाली वेल्स मातृभाषा को अब तक नहीं भूल पाए हैं। उन्होंने वेल्स भाषा को अंग्रेजी के दबदबे को उसके धातक प्रभाव से पूरी तरह बचाए रखा है।

अंग्रेज़ी से अपनी मातृभाषा और उसकी परंपरा की सुरक्षा के लिए वेल्स वासियों ने कुछ अनूठे तौर-तरीके निकाले हैं। वेल्स में हर साल एक राष्ट्रव्यापी समारोह होता है जिसमें न केवल वहां के नागरिक भाग लेते हैं बल्कि विदेशों में रहने वाले वेल्स के अनेक मूल निवासियों का भी उसमें बहुत अधिक योगदान रहता है। इस महोत्सव में केवल वेल्स भाषा का ही प्रयोग होता है। समारोह में संगीत, काव्य और निबंध जैसी विधाओं की प्रतिस्पर्धाओं का भी आयोजन होता है।

कुछ वर्ष पूर्व जब विदेशों से आए कुछ वेल्स प्रतिनिधियों ने समारोह में वेल्स भाषा के साथ-साथ अंग्रेज़ी को भी चलाने की मांग की तो आयोजकों ने उसे ठुकरा दिया और कहा कि यदि उनसे उनकी मातृभाषा भी छीन ली गई तो उनके पास अपना आख़िर बचेगा क्या? इधर हम भारतवासी अपनी मातृभाषा, अपनी राजभाषा, अपनी हिन्दी पर अंग्रेज़ी थोपने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। वर्षभर अंग्रेजी की गुलामी करते हैं और एक माह में, पंदरह दिन में यह हफ्ते भर में अपना हिन्दी प्रेम उजागर कर देते हैं, राजभाषा मास, पंख़वाड़ा या सप्ताह मनाकर। यह है हमारी भाषा के प्रति हमारी आस्था और लगन।

यदि आज ही यह संकल्प लिया जाए कि आगामी स्वतंत्रता दिवस से प्रशासन के कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग बन्द किया जाएगा तो हम अपनी मानसिकता हिन्दी के अनुरूप बना सकेंगे और यदि ऐसा हुआ तो एक किरण प्रस्फुटित होगी जिसका प्रकाश कालान्तर में देश भर में फैलेगा और देश में सर्वत्र हिन्दी का बोलबाला होगा। हम तभी भाषाई स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेंगे। हमें उस दिन की प्रतीक्षा है।

(राजभाषा भारती से साभार)

सुख्रद बात है कि न्यूयोर्क में संपन्न आठवीं विश्व हिन्दी सम्मेलन ने नागरी लिपि को विश्व लिपि के रूप में मान्यता दे दी है और उसके प्रचारण करने का प्रस्ताव पारित किया। इस विशेष लाभ के पीछे नई दिल्ली वाले नागरी लिपि परिषद् का कर्तव्य उपयोगी रहा। प्रस्तुत लिपि को सारे भूख्रंड में मान्यता दिलाने का प्रयत्न अनुस्यूत रहता है। नागरी लिपि परिषद वस्तुतः प्रशंसनीय कार्य ही करती है। इस संस्था का प्रशस्त कार्यनिर्वहण सारे देश केलिए वाँछित एवं अभिनन्दनीय है। मैं ने बाबा के विविध आदर्शों की पूर्ति का निर्वहण किया है। उत्तरी केरल में आचार्यकुल के अध्यक्ष की हैसियत से काफी प्रयत्न किया था। सम्माननीय निर्मला देशपाँडे जी के आगमन पर स्त्री जागरण से संबन्धित पद-यात्रा चलाने का प्रयत्न किया था। इस संदर्भ ने श्रीमती जी से मिलकर हरिजन सेवा कार्यों में भी यथासाध्य प्रयास किया था। गीता प्रवचन नामक बाबा के ग्रन्थ का सुवर्ण जूबिली महोत्सव में मैं वर्धा में विशेष रूप में आमन्त्रित हुआ और बाबा के साथ मंच पर रहकर भाषण भी दिया था। बाबा का गीता प्रवचन, स्थितप्रज्ञदर्शन आदि मुझे सदैव चिंतनशील रहने का उन्मेष देते हैं। आज इस प्रकार संत विनाबाजी और नागरी लिपि पर अध्यक्ष के रूप में बोलने का अवसर जो मिला धन्य मानता हूँ।

केरल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. बालमोहन तंपी जी ने भी अपने भाषण को सुदीर्घ एवं आस्वादनीय बना दिया था। वे कहते थे कि जब वे काशी विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के एमिरिट्स प्रोफसर रहे थे तब बाबा जी के दर्शन करने और उनपर गहरा अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। विनोबाजी भारत के ऋषियो में जानेमाने हैं और वे विश्वगुरु हैं। अपने देश की संस्कृति को बनाये रख्रने केलिए उनके अपने चिन्तनों के फलस्वरूप अनेक कार्य-निर्वहण हुए हैं। भूदान-यज्ञ का प्रवर्तन ऐसा एक महान यज्ञ था। मानव-मानव में मैत्री, विश्वास और आस्था बनाये रख्रने में उनका यह यज्ञ सफल निकला था। मनुष्यत्व का स्थाईत्व ही उसका आन्तरिक लक्ष्य था। आज देश की कुत्सित परिस्थिति में विनोबाजी और उनके आदर्शों पर चर्चा करना परम आवश्यक है। डॉ. चन्द्रशेख्ररन नायर जी का प्रवर्तन इस प्रकार के कार्य व्यापारों में संलग्न है, यह देख्रकर बड़े आनंद का अनुभव हो रहा है।

महात्मा गाँधी कालेज की प्राध्यापिका डॉ. एस.आशा ने प्रस्तुत सम्मेलन की प्रशंसा करती हुई कहा कि यह सम्मेलन इस अवसर पर उपयुक्त सिद्ध हो सकता है। इसका प्रभाव भविष्य में भी बना रहेगा।

केन्द्रीय विद्यालय की प्राध्यापिका श्रीमती कौसल्या अम्माल ने प्रस्तुत विषय पर एक सुंदर आलेख्र प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि नागरी लिपि संबन्धी विनोबा जी का प्रस्ताव समीचीन है, उसका प्रयोग देशीय एकता केलिए अत्यन्त ज़रूरी है।

केरल हिन्दी साहित्य अकादमी की मंत्री श्रीमती राजपुष्पम ने स्वागत भाषण करते हुए विनोबाजी और नागरी लिपि का सुदृढ संबन्ध स्थापित किया।

चार बजे को उपस्थित सारे श्रोताओं और विशेष आमंत्रितों को जलपान कराया गया। श्रीमती राजपुष्पम के विनोबा संबन्धी गीत को सब लोगों ने हृदय से सुना और अभिनन्दन किया। श्रीमती रुक्मिणी रामकृष्णन ने प्रार्थना गीत गाया था। अकादमी की कोषाध्यक्ष डॉ. विजयलक्ष्मी ने कृतज्ञता ज्ञापन किया एवं राष्ट्रगीत के उपरान्त 5.30 बजे सम्मेलन का समापन हुआ।

(कौसल्या अम्माल, अकादमी, सदस्या)

डा. एन.चन्द्रशेखरन नायर और उनका बेटा शरत्चन्द्रन

राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी हमारे देश की एकता में सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी, इसमें दो राय नहीं। **-जवाहरलाल नेहरु**

प्रकृति-प्रेमी सी शरत्चन्द्रन दिवंगत हो गये!!

प्रशस्त सिनेमा-डोक्यूमेन्टरी संविधायक श्री शरत्चन्द्रन प्रख्यात हिंदी **साहित्यकार डा.एन.चन्द्रशेखरन नायर** और उनकी पत्नी शारदा के इकलौते पुत्र थे। समाजोद्धारण शरत्चन्द्रन का एकमात्र व्रत था। पूरे हिंदुस्तान में जाने-माने डोक्यूमेन्टरी संविधायक के रूप में अतीव प्रशस्त थे। वे सच्चे प्रकृतिप्रेमी एवं सूक्ष्म दृक् चितेर्रे थे। वे अकेले चलकर एक बार गोमुख्री देख्रकर आये थे। गिरिवर्ग जन की पीडा एवं दुःख्र उनसे सहा नहीं जाता था। इन बेचारों के विरुद्ध होनेवाले अनाचारों के सामने निडर होकर ख्रड़े होते थे और उन आक्रमणकारियों के स्वार्थ का परदा-फ्राश करते थे। सिनेमा एवं डोक्यूमेंटरी का सदुपयोग वे इसके प्रयोग केलिए मानते थे।

शहदोल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा जैसे प्रदेशों में घूमकर वहाँ के मलिन वातावरण को एवं मनुष्यकृत वैकृतों का फोटो ले करके वे दस-बारह वर्षों के पहले ही जनता को दिख्राते थे। केरल में ऐसी अनेक घटनाऐं हुई थीं जिन्होंने प्रकृतिप्रेमी शरत्चन्द्रन को आकर्षित किया था। उनमें एक थी "चालियार प्युष़ा" जो समीपस्थ कारख्राने से बाहर निकाले जानेवाले विष-द्रावक् से मलिन थी। समीपवासियों एवं नदी के किनारो पर रहनेवाले लोगों की दुर्दशा इस गन्देपानी के कारण अवर्णनीय थी। श्री. शरत् का प्रयास था कि इस अप्राकृतिक अवस्था के विपरीत संघर्ष पैदा करें और जनता को अपने मूल स्वत्व की अवधारणा संजात करा दें। इस प्रकृति प्रेमी के परिश्रम के कारण चलियार प्युष़ा नामक घटना एक देशीय संग्राम का रूप धारण कर सकी। इस पर रचित डोक्यूमेंटरी केलिए श्री. शरत्चन्द्रन और उसके सहकारी बाबुराज को देशीयपुरस्कार प्राप्त हुआ। "पात्रक्कडव", "ओरु मषुविन्टे दुरम मात्रम" (सिर्फ एक परशु की दूरी) प्लाचिमडा संग्राम के नाम पर "कैप्पुनीर" (ख्रडुआ पानी), "आयिरम दिनड़लुम ओरु स्वपनवुम" (हज़ार दिन और एक सपना), "पुरकोट्टुषुकिय नदी" (पीछे को बही नदी), "टुडे फोर लान्ट", "अलटिमैंट साक्रिफैंस", "निड़ड़लुटे विश्वस्तन जोन" (तुम्हारे विश्वस्त जोन), "कोककोला" आदि इस कलाकार की चित्ररचनाऐं हैं।

ये सब सिनेमा चित्र देश-विदेशों में चर्चित एवं पुरस्कृत और प्रख्यात हैं। इन सवका विषय कष्ट भोगनेवाली साधारण जनता के कठोर जीवन को चित्रित करने वाले चित्र हैं। इनसे संबन्धित अनेक करोडपतियों का स्वार्थ भी समा हुआ है। लेकिन इनका चित्रण निर्भीक, सामयिक वैदूष्यों के चित्रण हैं। इनको बनाते हुए एक कर्मठ चित्रकार की मानसिक व्यथा का संस्पर्श मिलता है। इस सच्चाई को केवल दिख्राने-देख्रने मात्र से प्रश्नपरिहार नहीं होता। लेकिन जीवन का एक सच्चा चित्र एवं अनुभव इनके साथ जुडा हुआ है।

सी. शरत्चन्द्रन विख्यात विश्व क्लासिक चित्रों को देश-देश घूमकर दिख्राते थे। सिनेमा अकादमी के उदय के पहले ही इस कलाकार की मेधा सिनेमा जगत में प्रकट हो चुकी थी।

1987 से 1997 तक सी. शरत्चन्द्रन सौदी अरेब्या के रिआदवाले ब्रिटीश कोण्सिल में एक अफसर रहे थे। वहाँ के दस वर्षों का काम इसलिए छोडकर वापस आये कि तब तक के प्रयत्न से एक स्वतन्त्र डोक्यूमेंतेरियन केलिए आवश्यक धन प्राप्त हुआ था।

सी. शरत्चन्द्रन अपना व्यस्त समय काटकर गिरिवर्ग के युवकों को डोक्यूमेटरी करने का अभ्यास दिया करते थे। आख्रिरी दिनों में केरल के बाहर भी जाकर इस काम में लगे हुए थे। अन्त में गाड़ी से गिरनेवाले एक सहयात्री को बचाने केलिए हाथ बढ़ाया और दोनों एक साथ नीचे गिरकर मर गए। श्री. शरत्चन्द्रन की महान आत्मा परमात्मा के पास तक पहुँचे यही हमारी विनम्र प्रार्थना है।

श्रीमती आर. राजपुष्पम,
मंत्री, केरल हिन्दी साहित्य अकादमी

Kinfra

INSPIRING GROWTH

EVERYTHING AT ONE PLACE

For 16 industry-friendly years, Kerala Industrial Infrastructure Development Corporation (KINFRA) has endeavoured to provide perfect settings to help businesses flourish in Kerala. KINFRA provides a wide variety of Walk-In-And-Manufacture Parks for setting up industries across Kerala. 20 different sector specific industrial parks are developed by identifying and promoting core competency of each region. Navaratna Companies like HAL, BEL and BEML, as well as private entrepreneurs have benefited from setting up their units in our parks.

Key Sectors

Food Processing | Apparel/Textiles | Knowledge-based industries | Rubber | Seafood Entertainment/Animation & Graming | IT/IIES | Hardware & Electronics | Bio-technology

Kerala Industrial Infrastructure Development Corporation
(A statutory body of Govt. of Kerala)
KINFRA House T.C.31/2312 Sasthamangalam, Thiruvananthapuram 695 010, Kerala, India.
Phone : 0471-2726585, Fax: 0471-2724773 E-mail:kinfra@vsnl.com, www.kinfra.com

Kinfra
INSPIRING GROWH

☞

भाषा संगम के तत्वावधान में संपन्न सम्मेलन (16-3-2010) में मंत्री श्री. तुंपमण तंकप्पन अकादमी चेयरमान डॉ. एन. चन्द्रशेखरन नायर को सुवर्णवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करते हैं।

☞

भाषा संगम के तत्वावधान में 16 मार्च को केरल हिन्दी साहित्य अकादमी भवन में फ्रेंच उपन्यासकार की रचना कान्ती दे (उपन्यास) का मलयालम अनुवाद श्री. तुंपमण तंकप्पन जी को देते हुए अकादमी चेयरमान डॉ. एन.चन्द्रशेखरन नायर जी लोकार्पण कर रहे हैं।

☞

"हिन्दी और वैश्विक आयाम" संज्ञक विषय पर 27 मार्च 2010 को केरल हिन्दी प्रचार सभा भवन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वावधान में अध्यक्षीय भाषण दे रहे हैं। सभा की अध्यक्षा डा. तंकमणि अम्मा, मंत्री प्रो.के.केशवन नायर, डा.एस.राधाकृष्ण पिल्लै, श्रीकुमार जी आदि बैठे हैं।

☞

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वावधान में 26, 27-3-2010 को केरल हिन्दी प्रचार सभा भवन में संपन्न द्वि दिवसीय देशीय सेमिनार का समापन भाषण डा.एन.चन्द्रशेखरन नायर जी दे रहे हैं। सम्मेलन की अध्यक्षा प्रो.हिलडा जोसफ, डा.एस. तंकमणि अम्मा, प्रो.के.केशवन नायर, डा.पी.लता आदि बैठे हैं।

केरल हिन्दी साहित्य अकादमी के लिए शोध-पत्रिका डा.एन. चन्द्रशेखरन नायर, श्री निकेतन, तिरुवनन्तपुरम - ४
द्वारा मुद्रित संपादित और श्रीरामदासमिशन प्रिंटिंग एण्ड पब्लिशिंग हाऊस, तिरुवनन्तपुरम-८७ में मुद्रित।